

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1950

*संख्या आर.एस./5/48-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम निम्नलिखित विनियम, जो उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित पूर्व प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात:-

कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

2. परिभाषाएं- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) अभिप्रेत है;

(ख) किसी क्षेत्र कारखाने या स्थापन के संबंध में "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन से इस अधिनियम के संपूर्ण अध्याय 4 और 5 यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र, कारखाने या स्थापन को लागू होते हैं;

(ग) "उपयुक्त कार्यालय", "उपयुक्त शाखा कार्यालय" या 'उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय' से इन विनियमों के अधीन की गई किसी कार्यवाही के संबंध में निगम का ऐसा कार्यालय अभिप्रेत होगा जिसे निगम के साधारण या विशेष आदेश से उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए;

(घ) "केन्द्रीय नियम" से इस अधिनियम की धारा 95 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(ङ) ***

(च) ***

(छ) "नियोक्ता" से अधिनियम में यथापरिभाषित प्रधान नियोक्ता अभिप्रेत है;

(ज) "नियोक्ता कूट संख्या" से वह पंजीकरण संख्या अभिप्रेत है जो उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किसी कारखाने या स्थापन को अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए आबंटित की गई है;

(झ) "कारखाना या स्थापन" से कोई ऐसा कारखाना या स्थापन अभिप्रेत है जिस पर अधिनियम लागू है।

(ज) "प्रपत्र" से इन विनियमों से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(ट) "पहचान पत्र" से वह स्थायी पहचान पत्र अभिप्रेत है जो उपयुक्त कार्यालय द्वारा किसी बीमाकृत व्यक्ति को उसकी पहचान के लिए अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए जारी किया गया है;

(टट) "कुटुम्ब पहचान पत्र" से वह पत्र अभिप्रेत है जो उपयुक्त कार्यालय द्वारा किसी बीमाकृत व्यक्ति को उसके कुटुम्ब की पहचान के लिए जारी अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए जारी किया गया है;

(ठ) "सामाजिक सुरक्षा अधिकारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निगम द्वारा अधिनियम की धारा 45 के अधीन उस रूप में नियुक्त किया गया है;

(ड) "अनुदेश" से निगम द्वारा या निगम के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा, जो निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं, जारी किए गए अनुदेश या आदेश अभिप्रेत हैं।

(ढ) "बीमा चिकित्सा अधिकारी" से कोई ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जो चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जो उस समनुदिष्ट किए जाएं, और जो अधिनियम के अध्याय 5 के प्रयोजनों के लिए सम्यक रूप से नियुक्त व्यवसायी समझा जाएगा।

(ण) "बीमा संख्यांक" से अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी को उपयुक्त कार्यालय द्वारा आबंटित संख्या अभिप्रेत है।

(त) "शाखा कार्यालय" और "क्षेत्रीय कार्यालय" से संदर्भ के अनुसार निगम का ऐसा अधीनस्थ कार्यालय अभिप्रेत है जो ऐसे स्थान पर तथा ऐसी अधिकारिता और कृत्यों के लिए स्थापित किया गया है जो निगम समय-समय पर अवधारित करें।

(थ) "शाखा प्रबन्धक" से निगम द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति या शाखा कार्यालय का प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है।

(द) "राज्य नियम" से राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 96 के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है।

(ध) "क्षेत्रीय निदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निगम द्वारा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए उस रूप में नियुक्त किया गया है।

(न) 'पंजीकृत सेविका (दाई)' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नर्सों और सेविकाओं के पंजीकरण के लिए उपलब्ध किसी राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सेविका के रूप में पंजीकृत है।

(प) "नियम" से अधिनियम के अधीन केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं।

(फ) "विनिर्दिष्ट" से निगम या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है।

(ब) "वर्ष" से कोई कलेन्डर वर्ष अभिप्रेत है, किन्तु तब नहीं जब विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा कथित हो।

(भ) अन्य सभी शब्दों और पदों के अर्थ वे हैं जो कि यथास्थिति, अधिनियम या नियमों में उन्हें क्रमशः समनुदिष्ट हैं।

-2-

3. वह रीति जिससे निगम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा-(1) जहां कोई विनियम निगम को कोई बात विनिर्दिष्ट, विहित, उपबंधित, विनिश्चित या अवधारित करने के लिए या कोई अन्य कार्य करने के लिए सशक्त करता है, वहां ऐसी शक्ति का प्रयोग निगम के संकल्प द्वारा या अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्थायी समिति के संकल्प द्वारा किया जा सकेगा :-

परन्तु निगम या स्थायी समिति इन विनियमों के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन उप-समिति या निगम के ऐसे अधिकारियों को कर सकेगा जो निगम उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे-

परन्तु यह और कि इस विनियम के अधीन किसी ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जाएगा जिसका अधिनियम के अधीन केवल निगम द्वारा प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।

(2) इन विनियमों के अधीन निगम द्वारा की जाने वाली कोई नियुक्ति महानिदेशक या ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा की जाएगी जो स्थायी समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं।

3.क. किसी कार्यालय द्वारा शक्तियों का प्रयोग- जहां किसी शक्ति का प्रयोग उपयुक्त कार्यालय या उपयुक्त शाखा कार्यालय या उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाना है, वहां उसका प्रयोग तत्समय उसके प्रभारी अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो महानिदेशक के सामान्य या विशेष आदेशों से इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाए।

4. अंशदान और हितलाभ कालावधियां-

अंशदान कालावधियां और तत्संबंधी हितलाभ कालावधियां निम्नानुसार होंगी:-

अंशदान कालावधि

1 अप्रैल से 30 सितम्बर
1 अक्टूबर से अनुवर्ती वर्ष की 31 मार्च तक

तत्संबंधी हितलाभ कालावधि

अनुवर्ती वर्ष की 1 जनवरी से 30 जून
तक 1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक

परन्तु यह कि उस व्यक्ति के मामले में जो अधिनियम के अर्थों में पहली बार कर्मचारी बनता है, प्रथम अंशदान कालावधि उस दिन चालू अंशदान कालावधि में ऐसे नियोजन की तारीख से आरम्भ होगी और उसके लिए तत्संबंधी हितलाभ कालावधि ऐसे नियोजन की तारीख से आरम्भ होगी और उसके लिए तत्संबंधी हितलाभ कालावधि ऐसे नियोजन की तारीख से नौ माह की कालावधि की समाप्ति पर आरम्भ होगी।

5. अंशदान कालावधि और हितलाभ कालावधि का आबंटन-***

6. निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ परिषद की बैठकें-

निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ परिषद की बैठकें केन्द्रीय नियमों के अनुसार ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होंगी जो संबद्ध अध्यक्ष द्वारा नियत किए जाएं।

7. बहुमत द्वारा विनिश्चय- निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा हितलाभ परिषद के समक्ष विनिश्चय के लिए आने वाला प्रत्येक विषय, बैठक के समय उपस्थित और मत देने वाले व्यक्तियों के बहुमत से विनिश्चित किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में बैठक के अध्यक्ष का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

8. मत का प्रयोग करने का ढंग- मत हाथ उठाकर दिए जाएंगे और किसी प्रस्थापना के पक्ष में और उसके विरुद्ध मत देने वाले व्यक्तियों के नाम केवल तभी अभिलिखित किए जाएंगे जब कोई उपस्थित सदस्य ऐसा करने के लिए अध्यक्ष से अनुरोध करता हो।

9. निगम के समक्ष रखे जाने वाले विषय- ऐसे विषयों के अतिरिक्त जिनकी अधिनियम या केन्द्रीय नियमों के किसी विनिर्दिष्ट उपबन्ध के अधीन, निगम के समक्ष रखने जाने की अपेक्षा की जाती है, निम्नलिखित विषय निगम को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे:-

-3-

(क) अंतिम प्रकाशन के पूर्व धारा 97 के अधीन विनियम और उसके संशोधन।

(ख) अधिनियम की धारा 19 के अधीन प्रस्तावित कोई उपाय।

(ग) कुटुम्ब के लिए धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन चिकित्सा हितलाभ का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव।

(घ) कोई विवाद, जिसे धारा 58 की उपधारा (4) के अधीन मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है।

(ङ) धारा 59 के अधीन अस्पतालों की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव।

(च) धारा 91 के अधीन छूट देने के लिए कोई प्रस्ताव।

(छ) धारा 99 के अधीन हितलाभ बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव।

(ज) ऐसा कोई अन्य विषय जिसके बारे में निगम या उसका अध्यक्ष स्थायी समिति या महानिदेशक को निगम के समक्ष रखने के लिए निर्देश दे।

10. क्षेत्रीय बोर्ड- (1) निगम का अध्यक्ष प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय बोर्ड स्थापित कर सकेगा और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्-

(क) अध्यक्ष, जिसे निगम का अध्यक्ष राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से परामर्श करके नाम निर्देशित करेगा;

(ख) उपाध्यक्ष, जिसे निगम का अध्यक्ष राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से परामर्श करके नाम निर्देशित करेगा;

(ग) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का एक प्रतिनिधि जिसे राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र नाम निर्देशित करेगा;

(घ) (i) प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी या ऐसा कोई अन्य अधिकारी, जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रत्यक्षतः प्रभारी हो-पदेन;

(ii) निगम का क्षेत्रीय चिकित्सा उपायुक्त-पदेन;

(ङ) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के नियोक्ताओं और कर्मचारियों में से हर एक का एक-एक प्रतिनिधि, जिसे निगम का अध्यक्ष नियोक्ताओं और कर्मचारियों के ऐसे संगठनों से परामर्श करके नामनिर्देशित करेगा जिन संगठनों के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र इस प्रयोजन के लिए सिफारिश करे;

(च) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा पदधारियों, यदि कोई हों, से भिन्न निगम के सदस्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों में से हों और जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हों-पदेन;

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (ङ), खण्ड (च) और खण्ड (छ) के अधीन नाम-निर्देशित चिकित्सा हितलाभ परिषद के सदस्य जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हों-पदेन;

परन्तु यदि निगम का अध्यक्ष ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह ऐसे महत्वपूर्ण संगठनों के, जिन्हें राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के नामनिर्देशनों में सम्मिलित नहीं किया गया है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए उपबन्ध करने और ऐसे नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या में समानता बनाए रखने की दृष्टि से नियोक्ताओं और कर्मचारियों में से हर एक से अधिक से अधिक तीन ऐसे अतिरिक्त प्रतिनिधि नामनिर्देशित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि पदेन सदस्यों को सम्मिलित करते हुए नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या हर एक के लिए तीन से कम है तो निगम का अध्यक्ष नियोक्ताओं और कर्मचारियों में से हर एक के अधिक से अधिक तीन अतिरिक्त नाम निर्देशित करेगा।

(2) यदि क्षेत्रीय बोर्ड यह वांछनीय समझे तो वह इसकी सीमाओं में स्थापित उप क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी और/या उस क्षेत्र में चिकित्सावृत्ति के एक सदस्य को सहयोजित कर सकेगा और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति, क्षेत्रीय बोर्ड के प्रसादपर्यन्त पर सदस्य बना रहेगा/बने रहेंगे।

(3) क्षेत्रीय निदेशक या क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा।

(4) (i) इस विनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, क्षेत्रीय बोर्ड के उन सदस्यों की, जो उप-विनियम (1) के खण्ड (ङ) और उसके परन्तुक में निर्दिष्ट हैं, पदावधि उस तारीख से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की होगी जिस तारीख को नाम नामनिर्देशन अधिसूचित किया जाए, परन्तु क्षेत्रीय बोर्ड के सदस्य उक्त अवधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद धारण किए रहेंगे जब तक

-4-

उनके उत्तरवर्तियों का नामनिर्देशन अधिसूचित नहीं कर दिया जाता।

(ii) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय क्षेत्रीय बोर्ड के उप-विनियम (1) के [खण्ड (ग)] में निर्दिष्ट सदस्य, उन्हें नामनिर्देशित करने वाली राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(iii) क्षेत्रीय बोर्ड का सदस्य जो उप-विनियम (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट है, जब निगम का सदस्य नहीं रह जाता है या उस क्षेत्र में निवास नहीं करता है तब वह पद पर नहीं रहेगा।

(iv) इस उप-विनियम के खण्ड (1) में निर्दिष्ट कोई सदस्य, जो आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए नामनिर्देशन किया गया है, उस सदस्य की कालावधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान में वह नामनिर्देशन किया गया है।

(v) पदावरोही सदस्य पुनः नामनिर्देशन का पात्र होगा।

(5) क्षेत्रीय बोर्ड का सदस्य, जो उक्त उप-विनियम (1) के खण्ड (क) और उसके परन्तुक में निर्दिष्ट है, क्षेत्रीय बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से निगम के अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

(6) (i) यदि क्षेत्रीय बोर्ड का सदस्य, जो उप-विनियम (1) के खण्ड (ङ) और उनके परन्तुक में निर्दिष्ट है, क्षेत्रीय बोर्ड की तीन क्रमवर्ती बैठकों में हाजिर रहने में असफल रहता है तो वह उस बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाएगा, परन्तु निगम के अध्यक्ष का समाधान उन परिस्थितियों की परिहार्य प्रकृति के बारे में हो जाने पर जिनके कारण वह सदस्य अनुपस्थित रहा है वह उसकी सदस्यता प्रत्यावर्तित कर सकेगा।

(ii) जब क्षेत्रीय बोर्ड में नियोक्ताओं या कर्मचारियों के संगठन का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संगठन का प्रतिनिधित्व करना समाप्त हो जाता है तब निगम का अध्यक्ष, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि ऐसी तारीख से जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसा व्यक्ति उसका सदस्य नहीं रह जाएगा।

(7) क्षेत्रीय बोर्ड के सदस्य ऐसे शुल्क और भत्ते प्राप्त करेंगे जो निगम के सदस्यों के लिए केन्द्रीय सरकार विहित करे।

(8) कोई भी सदस्य क्षेत्रीय बोर्ड का सदस्य, नामनिर्देशित किए जाने या होने के लिए निरहित होगा-

- (i) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित घोषित कर दिया जाता है, या
(ii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, या
(iii) यदि इन विनियमों के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्विहित है।

(9) तिमाही में क्षेत्रीय बोर्ड की कम से कम एक बैठक होगी। सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और उसके लिए कार्यसूची भी तैयार करेगा। हर बैठक के लिए प्रत्येक सदस्य को सामान्यतः डाक से भेजने की तारीख से कम से कम दस दिन की सूचना दी जाएगी, परन्तु यदि आपात बैठक बुलाना आवश्यक है तो उसकी उचित सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी। कार्यसूची में सम्मिलित किए गए विषयों से भिन्न किसी भी विषय पर अध्यक्ष की अनुज्ञा से ही विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(10) किसी भी बैठक में कोई कामकाज तभी किया जाएगा जब बोर्ड के सदस्यों की संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से बोर्ड की गणपूर्ति हो गई है, अन्यथा नहीं होगा, परन्तु यदि किसी बैठक में गणपूर्ति होने के लिए पर्याप्त संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो, बैठक को उस तारीख के लिए स्थागित कर सकेगा जो मूल बैठक की तारीख से सात दिन के बाद की न हो और तब ऐसी स्थागित बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या पर विचार किए बिना ही कामकाज का निपटारा करना विधिपूर्ण होगा।

(11) सभी विषयों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्तियों के बहुमत से किया जाएगा और बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक या द्वितीय मत होगा।

(12) क्षेत्रीय बोर्ड का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों का सभापतित्व करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति की दशा में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को सभापतित्व करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(13) (i) प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त जिसमें अन्य बातों को साथ-साथ उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम भी दर्शाए जाएंगे, बैठक के पश्चात यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में बैठक की तारीख से पन्द्रह दिन के अंदर क्षेत्रीय बोर्ड के सभी सदस्यों को भेजा जाएगा।

(ii) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्तों के अभिलेखों पर ऐसे आशोधनों सहित, जो उस बैठक में आवश्यक समझा जाए जिसमें कार्यवृत्तों की पुष्टि की जाती है, पुष्टिकरण के पश्चात अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(14) क्षेत्रीय बोर्ड, जिस प्रदेश के लिए स्थापित किया गया है, उसकी बाबत निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा:-

(क) ऐसे प्रशासनिक और/या कार्यपालक कृत्य जिन्हें निगम या स्थायी समिति, संकल्प द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे या प्रत्यायोजित करे।

(ख) अधिनियम, नियम और विनियम तथा योजना के परिचालन में अनुसरित किये जाने वाले प्रपत्रों और प्रक्रिया में जो परिवर्तन उसकी राय में उचित हो, उनके विषय में समय-समय पर सिफारिशें करना;

(ग) निगम के साधारण विनिश्चयों और प्राथमिकताओं के कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों का विनिश्चय करना, परन्तु जहां निगम या उपयुक्त सरकार का विनिर्दिष्ट अनुमोदन अपेक्षित है, वहां ऐसा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा:-

(i) निगम द्वारा अधिकथित प्राथमिकताओं के क्रम के अनुसार अन्य प्रवर्गों के स्थापनों पर योजना का विस्तारण;

(ii) नए क्षेत्रों पर योजना का विस्तारण और परिवारों के लिए चिकित्सीय देखरेख का विस्तारण;

(iii) क्षेत्र में विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करने के लिए विशेष उपाय अपनाना;

(iv) हितलाभों में सुधार;

(v) भर्ती चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था;

(vi) क्षेत्र में उन बीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उपाय और इंतजाम जो स्थायी रूप से अपंग हो गए हैं;

(vii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, विनियमों और अन्य नियमों और अनुदेशों के विभिन्न उपबन्धों का नियोक्ताओं द्वारा अनुपालन कराना;
(घ) राज्य में चिकित्सीय पहलू और नकदी हितलाभ पहलू दोनों के संबंध में योजना के कार्यकरण का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और नकदी हितलाभ भुगतान और चिकित्सा हितलाभ के प्रशासन, दोनों से संबंधित योजना के कार्यकरण में सुधार करने और विशिष्टतः निवारक स्वास्थ्य उपायों, सुरक्षा और निजी आरोग्य विज्ञान की अभिवृद्धि करने के बारे में निगम और राज्य सरकार को सलाह देना तथा शिथिल प्रमाणन और योजना के अन्य दुरुपयोगों का पुनर्विलोकन करना और उसकी रोकथाम करना;

(ड) बीमाकृत व्यक्तियों, नियोक्ताओं आदि की ऐसी साधारण शिकायतों, परिवादों और कठिनाइयों की जांच पड़ताल करना; जो वह आवश्यक समझे;

(च) निगम को ऐसे विषयों के बारे में सलाह देना जो स्थायी समिति या महानिदेशक उसे सलाह देने के लिए निर्दिष्ट करे;

क्षेत्रीय बोर्ड अपने किसी कृत्य को किर्यान्वित करने के लिए उपयुक्त उप-समितियां गठित कर सकेगा और जहां आवश्यक हो, वहां स्थानीय समितियों की सहायता या सलाह मांग सकेगा।

(15) (1) यदि निगम की राय में क्षेत्रीय बोर्ड उस विनियम द्वारा या इसके अधीन अपने पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में बार-बार व्यक्तिगत करता है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो निगम क्षेत्रीय बोर्ड को भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिक्रमित कर सकेगा।

(2) क्षेत्रीय बोर्ड को अधिक्रमित करने वाली उक्त खण्ड (i) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने पर क्षेत्रीय बोर्ड के सभी सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने ऐसे प्रकाशन की तारीख से अपना पद रिक्त कर दिया है।

(3) क्षेत्रीय बोर्ड के अधिक्रमित कर दिए जाने पर निगम:-

(क) इस विनियम के अनुसरण में एक नया क्षेत्रीय बोर्ड तुरन्त गठित कर सकेगा; या

(ख) क्षेत्रीय बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो वह ठीक समझे ऐसी कालावधि के लिए ऐसा अभिकरण नियुक्त कर सकेगा और ऐसा अभिकरण क्षेत्रीय बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और उसके सभी कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा।

10-क. स्थानीय समिति- (1) ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसे क्षेत्रीय बोर्ड उपयुक्त समझे, एक स्थानीय समिति गठित की जा सकेगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) अध्यक्ष, जिसे क्षेत्रीय बोर्ड का अध्यक्ष नामनिर्देशित करेगा;

(ख) राज्य का एक पदधारी, जिसे राज्य सरकार नामनिर्देशित करेगी;

(ग) संबद्ध क्षेत्र में योजना का प्रभारी प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, पदेन या उसके द्वारा नामनिर्देशित कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी;

(घ) क्षेत्र में नियोक्ताओं के कम से कम दो और अधिक से अधिक चार तक उतने प्रतिनिधि जितने क्षेत्रीय बोर्ड का अध्यक्ष उपयुक्त समझे, जिन्हें वह नियोक्ताओं के ऐसे संगठनों से परामर्श करके नामनिर्देशित करेगा जिन संगठनों के लिए राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए सिफारिश करे;

-7-

(ड) क्षेत्र में कर्मचारियों के भी उतने ही प्रतिनिधि, जिन्हें क्षेत्रीय बोर्ड का अध्यक्ष कर्मचारियों के ऐसे संगठनों से परामर्श करके नामनिर्देशित करेगा जिन संगठनों के लिए राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए सिफारिश करे;

(च) निगम का एक पदाधिकारी, जिसे महानिदेशक नामनिर्देशित करेगा और जो समिति के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा;

परन्तु यह जहां क्षेत्रीय बोर्ड का अध्यक्ष ऐसा करना समीचीन समझता है वहां वह ऐसे महत्वपूर्ण संगठनों के, जिन्हें राज्य सरकार के नामनिर्देशनों में सम्मिलित नहीं किया गया है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने तथा ऐसे नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या में समानता बनाए रखने की दृष्टि से नियोक्ताओं और कर्मचारियों में से प्रत्येक पक्ष की ओर से अधिक से अधिक दो अतिरिक्त प्रतिनिधि नामनिर्देशित कर सकेगा;

परन्तु यह और कि किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें चिकित्सीय देखदेख की व्यवस्था पैनाल पद्धति से की गई है, स्थानीय समिति स्थानीय बीमा चिकित्सा व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य सहयोजित कर सकेगी।

(2) (i) स्थानीय समिति के उन सदस्यों की, जो उप-विनियम (1) के खण्ड (घ) और खण्ड (ड) के अधीन नामनिर्देशित हैं, पदावधि तीन

वर्ष होगी और उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिसे उनका नामनिर्देशन अधिसूचित किया गया है, परन्तु ऐसे सदस्य उक्त कालावधि का आसवान हो जाने पर भी तब तक पद धारण किए रहेंगे जब तक उनके उत्तरवर्तियों का नामनिर्देशन अधिसूचित नहीं कर दिया जाता।

(ii) स्थानीय समिति के सदस्य, जो उप-विनियम (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) और खण्ड (च) के अधीन नामनिर्देशित हैं, नामनिर्देशित करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(3) स्थानीय समिति का सदस्य क्षेत्रीय बोर्ड के अध्यक्ष को दी गई लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

(4) (i) यदि स्थानीय समिति का सदस्य उसके तीन क्रमवर्ती बैठकों में हाजिर रहने में असफल रहता है तो वह उस समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा परन्तु क्षेत्रीय बोर्ड के अध्यक्ष का समाधान उन परिस्थितियों की परिहार्य प्रकृति के बारे में हो जाने पर, जिनके कारण वह अनुपस्थित रहा है, उसकी सदस्यता पुनःस्थापित की जा सकेगी।

(ii) जब राज्य सरकार की राय में स्थानीय समिति में नियोक्ताओं या कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे नियोक्ताओं या कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना समाप्त हो जाता है, तब क्षेत्रीय बोर्ड का अध्यक्ष यह घोषित कर सकेगा कि ऐसी तारीख से, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसा व्यक्ति उसका सदस्य नहीं रह जाएगा।

(5) समिति के सदस्य ऐसे शुल्क और भत्ते प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार विहित करे।

(6) प्रत्येक वर्ष में स्थानीय समिति की कम से कम तीन बैठक होंगी। सचिव अध्यक्ष के परामर्श से प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और उसके लिए कार्यसूची भी तैयार करेगा। ऐसी बैठक के प्रत्येक सदस्य को सामान्यतः कम से कम सात दिन की सूचना दी जाएगी। कार्यसूची में सम्मिलित विषयों से भिन्न किसी भी विषय पर अध्यक्ष की अनुज्ञा से ही विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(7) समिति की किसी भी बैठक में कोई भी कामकाज तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें गणपूर्ति समिति के सदस्यों की संख्या के कम से कम एक तिहाई तक की न हो।

(8) स्थानीय समिति की बैठक में सभी विषय बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्तियों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक या द्वितीय मत होगा।

-8-

(9) स्थानीय समिति जिस क्षेत्र के लिए स्थापित की गई है, उसकी बाबत निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी :-

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना संबंधी स्थानीय समस्याओं पर विचार-विमर्श करना ताकि संबद्ध पक्षकारों के पूर्ण सहयोग से उसके दक्ष कार्यकरण को सुनिश्चित किया जाए और सिफारिशें करना;

(ख) ऐसी शिकायतें जिन्हें वह आवश्यक समझे, संबद्ध क्षेत्रीय निदेशक को या चिकित्सा हितलाभ संबंधी शिकायतों की दशा में राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी को निर्देशित करना जिसे वह सरकार इस प्रयोजन के लिए नामनिर्देशित करे; और

(ग) ऐसे विषयों पर निगम या संबद्ध क्षेत्रीय बोर्ड को सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किए जाएं।

अध्याय 2

अंशदानों, आदि का संग्रहण

10. ख कारखानों या स्थापनों का पंजीकरण-

(क) जिस कारखाने या स्थापन को अधिनियम प्रथम बार लागू है और जिसे नियोक्ता कूट संख्या अभी आबंटित नहीं की गई है, उससे संबंधित नियोक्ता और जिस कारखाने या स्थापन को अधिनियम पहले लागू है किन्तु तत्समय लागू नहीं रहा है, उससे संबंधित नियोक्ता, यथास्थिति, कारखाने या स्थापन को अधिनियम के लागू होने के पश्चात पन्द्रह दिन तक प्रपत्र 01 तथा प्रपत्र 01-क में (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोक्ता पंजीकरण प्रपत्र कहा गया है) पंजीकरण की लिखित घोषणा उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय में दे देगा।

(ख) नियोक्ता उन सभी ब्योरों और जानकारी के सही होने के लिए उत्तरदायी होगा जिनकी नियोक्ता-पंजीकरण प्रपत्र के लिए अपेक्षा की गई है और जो उसमें दी गई है।

(ग) उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय उस नियोक्ता को जो इस विनियम के पैरा (क) की अपेक्षाओं का पालन इसमें कथित समय के भीतर करने में असफल रहता है, यह निदेश कर सकेगा कि वह नियोक्ता-पंजीकरण प्रपत्र सम्यक रूप से पूरा करके ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, उस कार्यालय में दे दे और तब ऐसा नियोक्ता इस निमित्त उस कार्यालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करेगा।

(गग) ऐसे कारखाने या स्थापन, जिसके लिए निगम द्वारा एकत्र सूचनाओं या अधिनियम लागू करने के संबंध में लिए गए निर्णय के आधार पर जिस कारखाने अथवा स्थापन के नियोक्ता को एक कूट संख्या जारी की है, कूट संख्या आबंटन की सूचना प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर प्रपत्र-01 में घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(घ) सम्पूरित नियोक्ता पंजीकरण प्रपत्र के प्राप्त हो जाने पर यदि उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय का यह समाधान हो जाता है कि कारखाना या स्थापन एक ऐसा कारखाना या स्थापन है जिस पर अधिनियम लागू है, तो वह (जब तक कि कारखाने या स्थापन को एक नियोक्ता कूट संख्या पहले से ही आबंटित न कर दी गई हो) उसे एक नियोक्ता कूट संख्या आबंटित करेगा और नियोक्ता को उस संख्या की सूचना देगा।

(ङ) नियोक्ता, अधिनियम, नियमों और इन विनियमों से संबंधित अपने द्वारा तैयार या सम्पूरित किए गए सभी दस्तावेजों और उपयुक्त कार्यालय से सभी पत्र व्यवहार में नियोक्ता कूट संख्या दर्ज करेगा।

10ग. कारखाने/स्थापन के पंजीकरण के समय प्रस्तुत किए गए विवरणों में परिवर्तनों की सूचना के सम्बन्ध में-किसी कारखाने/स्थापन के सम्बन्ध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता है और जिसके लिए पहले ही एक कूट संख्या आबंटित की गई है और कारखाने/स्थापन के पंजीकरण के लिए प्रपत्र 01 में विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, के सम्बन्ध में नियोक्ता किसी भी परिवर्तन की स्थिति में दो सप्ताह के अन्दर ऐसे परिवर्तनों की सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, प्रभागीय कार्यालय या शाखा कार्यालय को देगा।

11. नियत दिन को नियोजित व्यक्तियों द्वारा घोषणा- किसी कारखाने या स्थापन से संबद्ध नियोक्ता ऐसे कारखाने या स्थापन के प्रत्येक कर्मचारी से प्रपत्र 1 (जिसे इसमें इसके पश्चात घोषणा प्रपत्र कहा गया है) के प्रयोजन के लिये अपेक्षित सही ब्योरे फोटो सहित देने की अपेक्षा करेगा और मांग किए जाने पर ऐसा नियोक्ता ऐसे ब्योरे नियत दिन को या उसके पूर्व उसे देगा। ऐसा नियोक्ता उन ब्योरों को घोषणा प्रपत्र में जिसके अन्तर्गत अस्थायी पहचान पत्र भी है, दर्ज करेगा और ऐसे कर्मचारी का हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान अभिप्रास करेगा तथा प्रपत्र को उस रूप में पूरा करेगा जैसा कि उसमें संकेतित है।

12. नियत दिन के पश्चात नियोजित व्यक्तियों द्वारा घोषणा-

(1) किसी कारखाने या स्थापन से संबंधित नियोक्ता, ऐसे कारखाने या स्थापन में नियत दिन के पश्चात नियोजन में किसी व्यक्ति को लेने के पूर्व, ऐसे व्यक्ति से (जब तक कि वह पहचान पत्र या इन विनियमों के अधीन उसके बदले में उसे जारी किए गए अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत न करे) घोषणा प्रपत्र, के लिए, जिसके अन्तर्गत अस्थायी पहचान पत्र भी है, अपेक्षित सही ब्योरे [उसके व उसके परिवार की फोटो सहित] देने की अपेक्षा करेगा और मांग किए जाने पर ऐसा व्यक्ति ऐसे ब्योरे उसे देगा। ऐसा नियोक्ता उन ब्योरों को घोषणा प्रपत्र में, जिसके अन्तर्गत

-10-

अस्थायी पहचान पत्र भी है, दर्ज करेगा और ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान अभिप्रास करेगा तथा प्रपत्र को उस रूप में पूरा करेगा जैसा कि उसमें संकेतित है।

(2) जहां पहचान पत्र, उप-विनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किया जाता है, वहां नियोक्ता उसमें सुसंगत प्रविष्टियां करेगा।

13. ***

14 घोषणा प्रपत्र का उपयुक्त कार्यालय को भेजा जाना- नियोक्ता, इन विनियमों के अधीन तैयार किए गए अस्थायी पहचान पत्र को विलगित किए बिना सभी घोषणा प्रपत्र और प्रपत्र 3 में दो प्रतियों में विवरणी उस तारीख से, जिसे घोषणा प्रपत्र के लिए ब्योरे दिए गए थे, दस दिन के भीतर पंजीकृत डाक या संदेश वाहक द्वारा उपयुक्त कार्यालय को भेज देगा।

15 बीमा संख्या का आबंटन-विनियम 14 के अधीन अपेक्षित विवरणी के प्राप्त हो जाने पर उपयुक्त कार्यालय ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसके बारे में घोषणा प्रपत्र प्राप्त हो गया है, एक बीमा संख्या तत्परता से तभी आबंटित करेगा, जब वह यह जान ले कि उस व्यक्ति को एक बीमा संख्या पहले ही आबंटित नहीं की गई है। अस्थायी पहचान पत्र, उस पर विहित बीमा संख्या सहित, विलगित कर लिये जाएंगे और उन्हें प्रपत्र 3 की एक प्रति के साथ नियोक्ता को वापस कर दिया जाएगा। नियोक्ता ऐसे कर्मचारी को छोड़कर जिसे नियोजन प्रमाणपत्र विनियम 17 क के अधीन जारी किया गया है, अस्थायी पहचान पत्र उस कर्मचारी को, जिसका उससे संबंध है, उस पर उसका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अभिप्रास करने के पश्चात दे देगा। उपयुक्त कार्यालय द्वारा कर्मचारी को आबंटित और नियोक्ता को वापस की गई प्रपत्र 3 की प्रति में संकेतित बीमा संख्या को नियोक्ता, कर्मचारियों का रजिस्टर प्रपत्र 6 तथा अंशदान विवरणी पर दर्ज करेगा।

15-क. कुटुम्ब का पंजीकरण- विनियम 95-क के अधीन उस अधिसूचना के जारी किए जाने पर जिसमें वह तारीख विनिर्दिष्ट की गई है जिससे बीमाकृत व्यक्ति का कुटुम्ब भी अधिनियम के अधीन चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा, ऐसा प्रत्येक बीमाकृत व्यक्ति जिसने अधिनियम के अधीन अपने पंजीकरण के समय अपने कुटुम्ब की ब्योरे नहीं दिए हैं, अपने कुटुम्ब की बाबत, उसके और उसके परिवार के फोटोग्राफ सहित सही ब्योरे नियोक्ता को प्रपत्र 1-क में देगा। नियोक्ता, ब्योरों को प्रपत्र में दर्ज करेगा और ऐसे व्यक्ति हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अभिप्रास करेगा और प्रपत्र को उसमें संकेतित रूप में पूरा करेगा तथा उसे उस तारीख से जिसे ब्योरे दिए गए थे, दस दिन के भीतर उपयुक्त कार्यालय को भेज देगा।

15-ख. कुटुम्ब में परिवर्तन- बीमाकृत व्यक्ति, अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित कुटुम्ब की सदस्यता में सभी परिवर्तनों को, ऐसे परिवर्तन किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर नियोक्ता को सूचित करेगा और नियोक्ता ऐसी ब्योरों को प्रपत्र 2 में दर्ज करेगा तथा उसे, उस तारीख से, जिसे परिवर्तनों के ब्योरे दिए गए थे, दस दिन के भीतर उपयुक्त कार्यालय को भेज देगा।

16. निगम का नियोक्ताओं से सहायता प्राप्त करना- नियोक्ता, निगम को ऐसी सभी आवश्यक सहायता देगा जिसकी निगम, उसे कारखाने या स्थापन के पंजीकरण और उसके कर्मचारियों के पंजीकरण के संबंध में तथा विशेष रूप से ऐसे कर्मचारियों की फोटो लेने और उन्हें पहचान पत्र चिपकाने के लिए अपेक्षा करे।

17. पहचान पत्र- उपयुक्त कार्यालय ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिये, जिसकी बाबत बीमा संख्या आबंटित की गई है, प्रपत्र 4 में फोटो सहित पहचान पत्र तैयार कराने की व्यवस्था करेगा और ऐसे पत्र में ऐसे कुटुम्ब की ब्योरे फोटो सहित देगा जो विनियम 95-क के अधीन चिकित्सा हितलाभ के हकदार हैं तथा ऐसे सभी पहचान पत्र नियोक्ता को भेजेगा। ऐसा नियोक्ता, जब कभी कर्मचारी 3 माह के लिए सेवा में रहा है, पहचान पत्र पर कर्मचारी का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अभिप्रास करेगा तथा उसमें सुसंगत प्रविष्टियां करने के पहचान पत्र उसे दे देगा। नियोक्ता पहचान पत्र के लिए कर्मचारी से रसीद अभिप्रास करेगा। ऐसे कर्मचारी की बाबत जिसने 3 माह के पूर्व नियोजन छोड़ दिया है, पहचान पत्र उसे नहीं दिया जाएगा किन्तु, यथासंभव शीघ्र उसे उपयुक्त कार्यालय को वापस कर दिया जाएगा। पहचान पत्र अन्तरणीय नहीं होगा।

17-क नियोजन प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना- यदि किसी बीमाकृत व्यक्ति के लिए चिकित्सीय देखरेख, उसे अस्थायी पहचान पत्र जारी किए जाने के पूर्व, आवश्यक हो जाती है तो नियोक्ता मांग किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को नियोजन-प्रमाणपत्र ऐसे प्रपत्र में जारी करेगा जो महानिदेशक विनिर्दिष्ट करे। ऐसा प्रमाणपत्र मांग

-11-

किए जाने पर उस दशा में भी जारी किया जाएगा जब कि कोई बीमाकृत व्यक्ति पहचान पत्र की प्राप्ति के पूर्व अपना अस्थायी पहचान पत्र खो देता है।

17-ख स्थायी स्वीकृति कार्ड का जारी किया जाना- ऐसे क्षेत्रों में जहां महानिदेशक उपयुक्त समझे, उपयुक्त कार्यालय, प्रत्येक कर्मचारी के लिए, पहचान पत्र के साथ ऐसे प्रपत्र में स्थायी स्वीकृति कार्ड भी देगा जो महानिदेशक विनिर्दिष्ट करे और यह कार्ड कर्मचारी को भी दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी के लिए, जिसने 3 माह के पूर्व नियोजन छोड़ दिया है स्थायी स्वीकृति कार्ड उसे नहीं दिया जाएगा किन्तु पहचान-पत्र के साथ उसे उपयुक्त कार्यालय को यथासंभव शीघ्र वापस कर दिया जाएगा।

18. पहचान-पत्र का खो जाना- बीमाकृत व्यक्ति पहचान पत्र के खो जाने, विरूपित हो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में, इस बात की रिपोर्ट उपयुक्त स्थानीय कार्यालय को करेगा, निगम ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे शुल्क के संदाय पर, जो महानिदेशक अवधारित करे, पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा।

19 ***

20 ***

21 ***
22 ***
23 ***
24 ***
25 ***

26 उपयुक्त कार्यालय को अंशदान विवरणियों का भेजा जाना।

(1) प्रत्येक नियोक्ता बैंक में जमा कराई गई राशि के चालानो की रसीदी प्रतियों सहित प्रपत्र 5 में चार प्रतियों में, उन सभी कर्मचारियों की बाबत जिनके संबंध में अंशदान कालावधि में अंशदान संदेय था, पंजीकृत डाक या सन्देशवाहक के द्वारा उपयुक्त कार्यालय में इस प्रकार भेजेगा कि वे उक्त कार्यालय में:-

अंशदान-विवरण

- (क) उस अंशदान कालावधि के, जिससे यह संबंधित हैं, समाप्त होने के बयालीस दिन के भीतर;
- (ख) कारखाना या स्थापना, जैसा भी मामला हो, सर्वदा के लिए बन्द होने की तारीख के इक्कीस दिन के भीतर;
- (ग) उपयुक्त कार्यालय से उस निमित्त मांग की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर पहुंच जाए।

1(क) प्रत्येक नियोक्ता से अपेक्षित है कि वह प्रपत्र 5(अंशदान विवरणी) में प्रधान और आसन्न नियोक्ताओं द्वारा रखे गए कर्मचारियों और उनकी व्याप्ति, घोषणा प्रपत्रों की प्रस्तुति, अस्थायी पहचान प्रमाणपत्रों/स्थायी पहचान प्रमाणपत्रों के विवरण और अंशदान के भुगतान के लिए अलग की गई के संबंध में ब्योरे प्रस्तुत करे।

(2) अधिनियम की धारा 77 के प्रयोजनों के लिए, वह सम्यक् तारीख जिस तक अंशदान संदत्त किए जाने का साक्ष्य निगम को पहुंच जाना चाहिए, उप-विनियम (1) के खण्डों (क), (ख) और (ग) में क्रमशः विनिर्दिष्ट दिनों का अंतिम दिन होगा।

27. अंशदानों का प्रमाणपत्र जारी करना : नियोजक उपयुक्त कार्यालय द्वारा मांग करने पर किसी बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में संदत्त या सन्देश अंशदानों का प्रमाणपत्र ऐसे प्रपत्र में जारी करेगा, जैसा महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

28 ***

29 अंशदान का संदाय - अधिनियम के अधीन संदेय अंशदान सिवाय जब अन्यथा उपबन्धित है, निगम द्वारा विधिवत प्राधिकृत बैंक में संदत्त किया जाएगा।

30 ***

31 अंशदान के संदाय का समय - ऐसा कोई नियोक्ता जो किसी कर्मचारी की बाबत अंशदान देने के लिए जिम्मेदार है, उन अंशदानों का संदाय उस कलैन्डर माह, जिसमें अंशदान शोध्य हो जाता है, के अन्तिम दिन के 21 दिनों के भीतर करेगा।

-12-

परन्तु जहां कोई कारखाना/स्थापन सर्वदा के लिए बन्द हो गया है, नियोक्ता इसके बन्द होने के अन्तिम दिन अंशदान का संदाय करेगा।

परन्तु कोई नियोक्ता, ऐसी रीति में जैसा कि महानिदेशक द्वारा विहित की जाए, किसी मजदूरी कालावधि के लिए उसके द्वारा संदेय (कर्मचारियों के अंशदान सहित) अंशदान के लिए समायोजित किए जा सकने वाले अंशदान के निमित्त राशि का संदाय इस प्रकार अग्रिम कर सकता है कि अग्रिम राशि का शेष संबंधित मजदूरी कालावधि के अन्त में शोध्य और संदेय अंशदान से अधिक रहे। ऐसा नियोक्ता अंशदान विवरणी के साथ प्रत्येक माह के अन्त में बाकी शेष राशि के साथ संदेय और अग्रिम संदत्त अंशदान का छमाही विवरण विहित प्रोफॉर्मा (प्रपत्र-क) में निगम के उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय में देगा।

31-क. उन अंशदानों पर ब्याज जो शोध्य हो गए हों किन्तु जिनका संदाय समय पर न किया गया हो-ऐसा कोई नियोक्ता जो विनियम 31 में विनिर्दिष्ट कालावधियों के भीतर अंशदान का संदाय करने में असफल रहता है, अंशदान का संदाय करने में व्यक्तिगत या विलम्ब के प्रत्येक दिन की बाबत बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए जिम्मेदार होगा।

31-ख ब्याज की वसूली- विनियम 31 क के अधीन संदेय किसी ब्याज की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में या अधिनियम की धारा 45-ग से धारा 45-झ के अन्तर्गत की जा सकेगी।

31-ग उन अंशदानों या किसी अन्य राशि पर हर्जाना जो शोध्य हो गया हो किन्तु जिनका संदाय समय पर न किया गया हो- ऐसा कोई नियोक्ता जो विनियम 31 में विनिर्दिष्ट कालावधियों के भीतर अंशदान का, या अधिनियम के अन्तर्गत संदेय किसी अन्य राशि का संदाय करने में असफल रहता है, तो निगम जुर्माने के द्वारा जो कि नीचे उल्लिखित दरों से अधिक नहीं होगा, हर्जाने की वसूली कर सकता है-

विलम्ब की कालावधि	शोध राशि की प्रतिवर्ष प्रतिशतता में हर्जाने की अधिकतम दर
1. 2 माह से कम	5%
2. 2 माह और अधिक परन्तु 4 माह से कम	10%
3. 4 माह और अधिक परन्तु 6 माह से कम	15%
4. 6 माह और अधिक	25%

परन्तु निगम, ऐसे कारखाने या स्थापन के संबंध में जिसे रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के रूप में घोषित कर दिया गया है और जिसकी बाबत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनर्वास योजना स्वीकृत कर दी गई हो:

(क) उपक्रमों के कामगारों के सहकारी को हस्तांतरण सहित प्रबन्ध में परिवर्तन के मामले में या रुग्ण औद्योगिक कम्पनी का किसी स्वस्थ कम्पनी के साथ विलय या समामेलन के मामले में उद्ग्रहीत या उद्ग्रहणयोग्य हर्जाने का पूर्ण अधित्याग।

(ख) अन्य मामलों में, मामले की योग्यता के आधार पर उद्ग्रहीत या उद्ग्रहणयोग्य हर्जाने का 50% तक अधित्याग।

(ग) अत्यधिक कठिन मामलों में, उद्ग्रहीत या उद्ग्रहणयोग्य हर्जाने का पूर्णतः या अंशतः अधित्याग कर सकता है।

31. घ. अपील अधिकारी- अधिनियम की धारा-45 कक के अधीन अपील अधिकारी बीमा आयुक्त, अपर आयुक्त, क्षेत्रीय निदेशक और संयुक्त निदेशक होंगे।

31. इ नियोक्ता को प्रतिदाय राशियाँ पर ब्याज- यदि कोई नियोक्त धारा 45- कक के अधीन अपील में अंततः सफल हो जाता है तो निगम में उसके द्वारा जमा की गई राशि, अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार, पूर्ण या आंशिक रूप में विनियम 31-क में विनिर्दिष्ट दर पर साधारण ब्याज सहित उसे लौटा दी जाएगी।

32. कर्मचारियों का रजिस्टर-(1) प्रत्येक नियोक्ता अपने कारखाने या स्थापना के प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में प्रपत्र 6 में रजिस्टर रखेगा ।
(1)(क) **आसन्न नियोक्ता द्वारा काम पर लगाए गए कर्मचारियों का रजिस्टर-**प्रत्येक आसन्न नियोक्ता उसके द्वारा काम पर लगाए गए प्रत्येक कर्मचारी की बाबत प्रपत्र-6 में एक रजिस्टर रखेगा और अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (1) के अन्तर्गत संदेय किसी राशि के निपटारे से पूर्व उस रजिस्टर को प्रधान नियोक्ता के समक्ष पेश करेगा।
(2) प्रत्येक नियोक्ता इस विनियम के अधीन रखे गए प्रत्येक रजिस्टर को उसके भर जाने के पश्चात्, अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए परिरक्षित रखेगा।
(3) नियोक्ता, अपने किसी भी कर्मचारी को, यदि वह ऐसी इच्छा करता है कि माह में एक बार इस रजिस्टर में ऐसे कर्मचारी से संबंधित प्रविष्टियां देखे तो उसे उचित अवसर देगा।

33. अंशदान संदाय करने के अन्य ढंग- स्थायी समिति के निदेशों के अधीन रहते हुए महानिदेशक, यदि वह ठीक समझे और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करे, किसी भी व्यवस्था का, [***] जिसके द्वारा अंशदानों का समय पर संदाय किया जाता है या इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीतियों से भिन्न रीति का अनुमोदन कर सकेगा और ऐसी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निगम को ऐसे शुल्क के संदाय का उपबन्ध भी है जो वह निगम के प्राक्कलित अतिरिक्त व्यय दर्शित करने के लिए अवधारित करे और प्रतिभूति के रूप में धन के ऐसे निक्षेप की अपेक्षा कर सकेगा जो वह अवधारित करे।

34. ***

35. ***

36. मजदूरी कालावधि के भाग के लिए नियोजन- जहां किसी कर्मचारी को किसी नियोक्ता द्वारा किसी कालावधि के भाग के लिए नियोजित किया जाता है, वहां ऐसी मजदूरी कालावधि की बाबत अंशदान उस मजदूरी कालावधि में ऐसे नियोक्ता द्वारा नियोजित किए जाने के अंतिम दिन को शोध्य होगा।

37 ***

38. संयुक्त नियोक्ताओं द्वारा योजना- जहां किसी कर्मचारी को किसी मजदूरी कालावधि में सामान्यतः दो या दो से अधिक नियोक्ताओं द्वारा नियोजित किया जाता है, वहां ऐसे किसी कर्मचारी के नियोक्ता यदि वे ठीक समझें तो ऐसे कर्मचारी की बाबत अंशदानों के संदाय के लिए एक योजना निगम को प्रस्तुत कर सकेंगे और यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि योजना ऐसी है कि वह अंशदानों के सम्यक् संदाय को सुनिश्चित करेगी तो वह ऐसी योजना, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए अनुमोदित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे :

परन्तु यदि ऐसी कोई भी योजना निगम को प्रस्तुत नहीं की जाती है या उसके द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है तो निगम यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि ऐसे नियोक्ताओं में से किसी एक नियोक्ता को अंशदानों से संबंधित अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए नियोक्ता माना जाएगा और ऐसी दशा में, किसी मजदूरी कालावधि के लिए, अंशदान उस मजदूरी कालावधि के अंतिम दिन को शोध्य होगा जिसे कर्मचारी, इस प्रकार विनिर्दिष्ट नियोक्ता द्वारा नियोजित किया गया था।

39. एक ही मजदूरी कालावधि में दो या दो से अधिक नियोक्ताओं द्वारा नियोजित कर्मचारी की मजदूरी की संगणना:- जहां किसी कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा मजदूरी कालावधि के किसी भाग के लिए नियोजित किया जाता है या जहां किसी कर्मचारी का किसी मजदूरी कालावधि में दो या दो से अधिक नियोक्ताओं द्वारा नियोजित किया जाता है, वहां उस मजदूरी कालावधि के लिए कर्मचारी की औसत दैनिक मजदूरी अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए मजदूरी की संगणना करने में केवल उन दिनों तक के लिए और उसमें वह दिन भी शामिल है जिसे उस कालावधि के लिए अंशदान शोध्य हो जाता है उसे संदेय मजदूरी ही हिसाब में ली जाएगी।

40. गलती से संदत्त अंशदान का प्रतिदाय (1) किसी व्यक्ति द्वारा इस गलत विश्वास से संदत्त अंशदान कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा वह अंशदान संदेय था, उस व्यक्ति को निगम द्वारा बिना ब्याज के उस दशा में प्रतिदत्त किया जा सकेगा जब कि उस आशय का आवेदन उस अंशदान कालावधि के, जिसमें ऐसा अंशदान संदत्त किया गया था, तत्संबंधी हितलाभ कालावधि के प्रारम्भ के पूर्व लिखित में कर दिया जाता है।

-14-

(2) जहां किसी व्यक्ति द्वारा कोई अंशदान उस दर से उच्चतर दर पर संदत्त किया गया है जिस पर वह संदेय था, वहां संदेय रकम से अधिक इस प्रकार संदत्त रकम उस व्यक्ति को निगम द्वारा बिना ब्याज के उस दशा में प्रतिदत्त की जा सकेगी जब कि उस आशय का आवेदन, उस अंशदान कालावधि के जिसमें ऐसा अंशदान संदत्त किया गया था, तत्संबंधी हितलाभ कालावधि के प्रारम्भ के पूर्व लिखित में कर दिया जाता है।

(3) इस विनियम के अधीन किए जाने वाले किसी प्रतिदाय की रकम की गणना करने में उस रकम की, यदि कोई हो, कटौती की जा सकेगी जो किसी व्यक्ति को गलती से संदत्त अंशदान के आधार पर हितलाभ के रूप में दी गई है और जिसके प्रतिदाय के लिए आवेदन किया गया है।

(4) जहां उप विनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट किसी अंशदान की सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग को आसन्न नियोक्ता से वसूल किया गया था या प्रधान नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी की मजदूरी में से उसकी कटौती कर ली गई थी वहां वह, निगम से रकम का प्रतिदाय पाने पर, इस प्रकार वसूल या कटौती की गई रकम उस व्यक्ति को वापस देने के लिए जिम्मेदार होगा जिससे वह रकम इस प्रकार वसूल की गई थी या उसकी कटौती की गई थी।

(5) इस विनियम के अधीन प्रतिदाय के लिए आवेदन ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से किए जाएंगे और उनकी पुष्टि ऐसे दस्तावेज से की जाएगी जो महानिदेशक समय-समय पर अवधारित करे।

41 ***

42 ***

43 ***

अध्याय 3

हितलाभ

दावे

44. हितलाभों के लिए दावे- अधिनियम के अधीन संदेय हितलाभ के लिए दावा उपयुक्त शाखा कार्यालय को इन विनियमों के अनुसार, ऐसे प्रपत्र में किया जाएगा जो उस हितलाभ के प्रयोजन के लिए उपयुक्त हो जिसके लिए दावा किया जाता है या ऐसी अन्य रीति से किया जाएगा जो उपयुक्त कार्यालय किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग की परिस्थितियों में पर्याप्त रूप से स्वीकार करे किन्तु यह स्वीकृति लिखित रूप में होगी। ऐसे बीमाकृत व्यक्तियों की दशा में, जो दावे का प्रपत्र स्वयं नहीं भर सकते हैं, उसे भरने के लिए सहायता की व्यवस्था निगम के शाखा कार्यालय में की जाएगी।

45. दावा कब शोध्य होगा- अधिनियम के अधीन किसी हितलाभ के लिए कोई दावा, अधिनियम की धारा 77 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित दिनों को शोध्य होगा :-

(क) किसी कालावधि के लिए बीमारी हितलाभ के लिए या किसी अस्थायी अपंगता से संबंधित अपंगता हितलाभ के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख को, जो उस कालावधि के सम्बन्ध में हो, परन्तु जिन मामलों में कोई व्यक्ति बीमारी के प्रथम दो दिनों के लिए बीमारी हितलाभ पाने का हकदार नहीं है, शोध्य तारीख इतने दिनों तक आस्थगित की जाएगी;

(ख) मातृत्व हितलाभ

(1) प्रसवावस्था की दशा में, इन विनियमों के अनुसार प्रत्याशित प्रसवावस्था के प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख या इस प्रकार प्रमाणित प्रसवावस्था की प्रत्याशित तारीख से छह सप्ताह पूर्ववर्ती दिन, इन दिनों में से जो भी पश्चातवर्ती हो, उस तारीख या दिन को या यदि ऐसा कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है तो, प्रसवावस्था की तारीख को और

(2) गर्भपात की दशा में या गर्भावस्था, प्रसवावस्था समय पूर्व शिशु-जन्म या गर्भपात से उद्भूत बीमारी की दशा में, यथास्थिति, ऐसे गर्भपात का बीमारी के चिकित्सीय प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख को;

(ग) स्थायी अपंगता के लिए अपंगता हितलाभ के प्रथम संदाय के लिए उस तारीख को, जिसे किसी बीमाकृत व्यक्ति को अधिनियम और इन विनियमों के अनुसार स्थायी रूप से अपंग घोषित किया जाता है;

(घ) आश्रितजन हितलाभ के प्रथम संदाय के लिए, उस बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख को, जिसकी मृत्यु की बाबत ऐसे हितलाभ के लिए दावा उद्भूत होता है या जहां उस तारीख के लिए अपंगता हितलाभ संदेय था, वहां मृत्यु की तारीख की ठीक अगली तारीख को या जहां हिताधिकारी किसी पश्चातवर्ती तारीख को दावे के लिए हकदार होता है, वहां उस तारीख को जिसे वह इस प्रकार हकदार होता है;

(ङ) स्थायी अपंगता के लिए अपंगता हितलाभ के पश्चातवर्ती संदायों के लिए और आश्रितजन हितलाभ के पश्चातवर्ती संदायों के लिए, उस मास अंतिम दिन को, जिस मास से दावा संबंधित है; और

(च) अंत्येष्टि खर्च के लिए, उस बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख को, जिसकी मृत्यु की बाबत ऐसे हितलाभ के लिए दावा उद्भूत होता है।

46 दावा संबंधी प्रपत्रों की उपलब्धता- दावा संबंधी प्रपत्र आशयित दावेदारों को ऐसे व्यक्तियों और निगम के ऐसे कार्यालयों से उपलब्ध होंगे जिन्हें वह उस प्रयोजन के लिए नियुक्त या प्राधिकृत करे और वे निशुल्क दिए जाएंगे।

47 गलत प्रपत्र पर दावा- जहां किसी हितलाभ के लिए कोई दावा, दावाकृत हितलाभ के लिए उपयुक्त प्रपत्र से भिन्न किसी अनुमोदित प्रपत्र पर किया गया है वहां निगम उस दावे को इस रूप में मान सकेगा मानो वह उपयुक्त प्रपत्र पर किया गया था, परन्तु निगम ऐसी दशा में दावेदार से उपयुक्त प्रपत्र को पूरा करने की अपेक्षा कर सकेगा।

48 दावे के समर्थन में साक्ष्य- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी हितलाभ के लिए दावा करता है, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित चिकित्सीय प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त दावे का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ ऐसी अन्य जानकारी और साक्ष्य देगा जिनकी उपयुक्त कार्यालय द्वारा अपेक्षा की जाए और यदि उचित रूप से ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वह उस प्रयोजन के लिए ऐसे कार्यालय में या स्थान पर उपस्थित होगा जिसके लिए उपयुक्त कार्यालय निदेश दे।

49. त्रुटियुक्त दावा-यदि सम्यक् हस्ताक्षर या सम्यक प्रमाणन के अभाव में दावा निगम के किसी कार्यालय में उसकी प्राप्ति की तारीख को त्रुटियुक्त है, तो निगम का वह कार्यालय स्वविवेकानुसार दावेदार को दावा निदेशित कर सकेगा और यदि प्रपत्र सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और/या प्रमाणित करके उस तारीख से, जिसे वह इस प्रकार निदेशित किया गया था, तीन मास के भीतर वापस कर दिया जाता है तो कार्यालय उस दावे को इस रूप से मानो सकेगा मानो वह प्रथम बार सम्यक रूप से किया गया है।

50. अनुपयुक्त हितलाभ के लिए दावा- जहां यह प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति जिसने अधिनियम के अधीन संदेय किसी हितलाभ के लिए कोई दावा किया है, उस हितलाभ से भिन्न किसी हितलाभ के लिए हकदार हो सकेगा जिसका उसने दावा किया है, वहां ऐसे किसी दावे को इस रूप में माना जाएगा मानो वह उस अन्य हितलाभ के लिए अनुकल्पी दावा है।

51. दावेदारों की पात्रता प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण- वह प्राधिकरण जिसे दावेदारों की पात्रता प्रमाणित करनी है, बीमारी, मातृत्व, अस्थायी अपंगता और अंत्येष्टि खर्च की बाबत उपयुक्त शाखा कार्यालय तथा स्थायी अपंगता और आश्रितजन हितलाभ की बाबत उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय होगा।

52. हितलाभ कब संदेय होंगे-

(1) अधिनियम के अधीन संदेय किसी हितलाभ का संदाय, सुंसगत चिकित्सा या अन्य प्रमाणपत्र और ऐसे किसी अन्य दस्तावेजी साक्ष्य सहित, जिसकी इन विनियमों के अधीन अपेक्षा की जाए, उसके लिए दावा सभी ब्योरों में पूरा करके उपयुक्त कार्यालय को दे देने के पश्चात :-

- (क) बीमारी हितलाभ की दशा में, सात दिन तक;
- (ख) अंत्येष्टि खर्च की दशा में, पन्द्रह दिन तक;
- (ग) मातृत्व हितलाभ की बाबत प्रथम संदाय की दशा में चौदह दिन तक;
- (घ) अस्थायी अपंगता हितलाभ की बाबत प्रथम संदाय की दशा में, एक मास तक;
- (ङ) स्थायी अपंगता के प्रथम संदाय की दशा में, एक मास तक;
- (च) आश्रितजन हितलाभ के प्रथम संदाय की दशा में, तीन मास तक कर दिया जाए;

(2) किसी मातृत्व, अस्थायी, अपंगता, स्थायी अपंगता या आश्रितजन हितलाभ की बाबत दूसरे और पश्चात्कर्ती संदाय उसकी बाबत से प्रथम संदाय के साथ-साथ ही या उस मास के, जिसके सम्पूर्ण या भाग के लिए वे हैं, आगामी कलेंडर मास के भीतर, दोनों में से जो भी पश्चात्कर्ती हो, ऐसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य के, जिसकी इन विनियमों के अधीन अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत किए जाने पर कर दिए जाएंगे।

(3) जहां कोई हितलाभ संदाय उक्त उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय की परिसीमाओं के भीतर नहीं कर दिया जाता है, वहां इस बात की रिपोर्ट उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय को की जाएगी और यथासंभव शीघ्र उसका संदाय किया जाएगा।

(4) अधिनियम के अधीन हितलाभ क्षेत्रीय कार्यालय में, ऐसे दिनों और कार्य-समय पर, जो महानिदेशक या निगम का ऐसा अन्य अधिकारी नियत करे जिसे उसके द्वारा समय-समय पर इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, नकद में या दावेदार के विकल्प पर और प्रेषण के खर्च की कटौती करके पोस्टल मनीऑर्डरों द्वारा या डाकघर के माध्यम से संदेय अन्य आईरों द्वारा या ऐसे किसी अन्य तरीके से दिए जाएंगे जो उपयुक्त कार्यालय किसी विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे :

परन्तु निगम ऐसे मामलों में जिन्हें महानिदेशक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रेषण के खर्च की कटौती का अधित्यजन कर सकेगा।

-17-

परन्तु यह और कि महानिदेशक यह विनिश्चय कर सकेगा कि कुछ ऐसे क्षेत्रों/वेतन कार्यालयों की बाबत, जिन्हें वह समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, संदायों को ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रखते हुए जिन्हें महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अधिरोपित किया जाए, निगम के खर्च पर मनीऑर्डर द्वारा भी प्रेषित किया जाएगा।

(5) जहां किसी हितलाभ का संदाय किसी शाखा कार्यालय में किया जाना है वहां, ऐसा कार्यालय बीमाकृत व्यक्ति की बाबत पहचान पत्र या उसके बदले में जारी किए गए अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए जोर दे सकेगा।

52-क. प्रविरति सत्यापन-(1) प्रत्येक नियोक्ता किसी बीमाकृत व्यक्ति की काम से ऐसी प्रविरति की बाबत जिसके अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित

बीमारी हितलाभ या मातृत्व हितलाभ या अस्थायी अपंगता के लिए अपंगता हितलाभ का दावा किया गया है या जिसके लिए संदाय किया गया है, ऐसी जानकारी और ब्योरे उपयुक्त कार्यालय को प्रपत्र 10 में और उतने समय के भीतर देगा जितने की उक्त कार्यालय उक्त प्रपत्र में लिखित रूप में अपेक्षा करे।

(2) प्रत्येक नियोक्ता किसी बीमाकृत महिला की काम से ऐसी प्रविरति की बाबत जिसके लिए अधिनियम के अधीन यथा उपबन्धित मातृत्व हितलाभ का दावा किया गया है या जिसके लिए संदाय किया गया है, ऐसी जानकारी और ब्योरे उपयुक्त कार्यालय को प्रपत्र 10 में और उतने समय के भीतर देगा जितने की उक्त कार्यालय उक्त प्रपत्र में लिखित रूप में अपेक्षा करे।

बीमारी और अस्थायी अपंगता के लिए प्रमाणन और दावे

53. बीमारी और अस्थायी अपंगता का साक्ष्य- बीमारी हितलाभ या अस्थायी अपंगता के लिए अपंगता हितलाभ का दावा करने वाला प्रत्येक बीमाकृत व्यक्ति, अपनी बीमारी या अस्थायी अपंगता के दिनों की बाबत बीमारी या अस्थायी अपंगता का साक्ष्य ऐसे चिकित्सीय प्रमाणपत्र द्वारा देगा जिसे बीमा चिकित्सा अधिकारी ने मामले की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त प्रपत्र में इन विनियमों के अनुसार दिया है:

परन्तु ऐसे क्षेत्रों में जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन चिकित्सीय हितलाभ के लिए व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं या अन्यथा यदि निगम की यह राय है कि विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में ऐसा करना न्यायोचित है तो वह राज्य सरकार के चिकित्सा अधिकारी, स्थानीय निकाय या अन्य चिकित्सीय निगम द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र या किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी किए गए किसी प्रमाणपत्र के रूप में, जिसमें ऐसे ब्योरे दिए गए हैं और जो ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जाएगा जो महानिदेशक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, बीमारी या अस्थायी अपंगता का कोई अन्य साक्ष्य स्वीकार कर सकेगा।

54 चिकित्सीय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति- इन विनियमों के अधीन कोई भी चिकित्सीय प्रमाणपत्र केवल ऐसे बीमा चिकित्सा अधिकारी द्वारा, जिसे बीमाकृत व्यक्ति आबंटित किया गया है या किसी ऐसे औषधालय, अस्पताल, निदानशाला या अन्य संस्था से जिसे ऐसा बीमाकृत व्यक्ति आबंटित किया गया है, सम्बद्ध किसी बीमा चिकित्सा निदानशाला अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, अन्यथा नहीं और ऐसा बीमा चिकित्सा अधिकारी उस बीमाकृत व्यक्ति की परीक्षा करेगा और यदि उसकी राय में बीमाकृत व्यक्ति की दशा ऐसी है कि ऐसा करना न्यायोचित है तो वह ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को, अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमन या इन विनियमों के अधीन या इनके प्रयोजनों के लिए उचित रूप से अपेक्षित कोई चिकित्सीय प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परन्तु बीमा चिकित्सा अधिकारी किसी ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को, जो उसे या ऐसे औषधालय, अस्पताल, निदानशाला या अन्य संस्था के जिम्मे नहीं किया गया है जिससे वह सम्बद्ध है, इन विनियमों के अधीन चिकित्सीय प्रमाणपत्र उस दशा में जारी कर सकेगा जब ऐसे अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि किसी विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में बीमाकृत व्यक्ति से, उस बीमा चिकित्सा अधिकारी या औषधालय, अस्पताल, निदानशाला या अन्य निगम से, जिसे ऐसा बीमाकृत व्यक्ति आबंटित किया गया है, चिकित्सा हितलाभ पाने की उचित रूप से प्रत्याशा नहीं की जा सकती और ऐसा प्रमाणपत्र निशुल्क जारी किया जाएगा।

परन्तु यह और कि किसी बीमाकृत व्यक्ति को तब तक चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बीमा चिकित्सा अधिकारी को अपना पहचान पत्र या ऐसा अन्य 'दस्तावेज' प्रस्तुत न करे जो इन विनियमों के अधीन उसके बदले में जारी किया गया हो।

55 चिकित्सा प्रमाणपत्र- चिकित्सा प्रमाणपत्र का उपयुक्त प्रपत्र, बीमा चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वहस्तलेख में स्याही से या अन्यथा उस रूप से भरा जाएगा जो महानिदेशक विनिर्दिष्ट करे और उसमें उस बीमारी या अपंगता का संक्षिप्त कथन किया जाएगा जिसके कारण बीमा चिकित्सा अधिकारी की राय में अस्वस्थता के आधार पर काम से

-18-

प्रविरति आवश्यक हो गई है, या वह व्यक्ति अस्थायी रूप से काम करने से असमर्थ हो गया है। चिकित्सा प्रमाणपत्र में बीमारी या अपंगता का कथन उस बीमारी या अपंगता की प्रकृति को ऐसे रूप में विनिर्दिष्ट करेगा जो परीक्षा के समय बीमाकृत व्यक्ति की दशा के बारे में बीमा चिकित्सा अधिकारी की जानकारी के ठीक अनुरूप हो।

56 चिकित्सा प्रमाणपत्र देने का समय- (क) बीमा चिकित्सा अधिकारी किसी बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाणपत्र उस परीक्षा के समय देगा जिस परीक्षा के संबंध में वह प्रमाणपत्र है और जहां उसे ऐसा करने से रोका जाता है, वहां वह उसके पश्चात् चौबीस घण्टे के भीतर प्रमाणपत्र बीमाकृत व्यक्ति को भेज देगा।

(ख) उसी परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त चिकित्सा प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब कि ऐसे प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति अपेक्षित हो और ऐसी दशा में वह निशुल्क जारी किया जाएगा और उस पर स्पष्ट रूप से 'दूसरी प्रति' लिखा जाएगा।

57. प्रथम परीक्षा पर चिकित्सा प्रमाणपत्र- जहां परीक्षा बीमारी के दौर या अस्थायी अपंगता के दौर की बाबत प्रथम परीक्षा है, वहां चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रथम प्रमाणपत्र के प्रपत्र (प्रपत्र 7) में होगा और वह केवल परीक्षा की तारीख की बाबत होगा।

परन्तु जहां ऐसा बीमाकृत व्यक्ति, जिसे परीक्षा के दिन काम से प्रविरति की आवश्यकता है, यह कथन करता है कि वह अपनी प्रथम परीक्षा

की तारीख से पूर्वतर दिन को वास्तव में बीमार या अस्थायी अपंग रहा है, वहां यदि बीमा चिकित्सा अधिकारी का इस कथन की सत्यता के बारे में यह समाधान हो जाता है कि बीमाकृत व्यक्ति ऐसे कारणों से, जो उसके नियंत्रण से परे हैं, चिकित्सा परीक्षा के लिए अपने को पहले उपस्थित करने में असमर्थ था, तो परीक्षा की तारीख से पूर्ववर्ती तारीख को काम के लिए असमर्थता प्रमाणित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां, बीमा चिकित्सा अधिकारी की राय में, बीमाकृत व्यक्ति के लिए उस तारीख को जो परीक्षा की तारीख के पश्चात तीसरे दिन से बाद की न हो, फिर से काम करने के योग्य हो जाने की सम्भावना है, जहां प्रथम प्रमाणपत्र बीमारी या अस्थायी अपंगता के सम्पूर्ण दौर की बाबत जारी किया जा सकेगा और ऐसी दशा में, उस प्रमाणपत्र में वह तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसे वह बीमाकृत व्यक्ति चिकित्सा अधिकारी की राय में फिर से काम करने के योग्य होगा। विनियमों में किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रमाणपत्र को अंतिम प्रमाणपत्र भी माना जाएगा।

58. अंतिम चिकित्सा प्रमाणपत्र- यदि प्रथम प्रमाणपत्र से भिन्न चिकित्सा प्रमाणपत्र से संबंधित परीक्षा की तारीख को बीमाकृत व्यक्ति बीमा चिकित्सा अधिकारी की राय में फिर से काम करने के योग्य है या उस तारीख को जो उस तारीख के पश्चात तीसरे दिन से बाद की न हो, फिर से काम करने के योग्य हो जाएगा तो वह प्रमाणपत्र अंतिम प्रमाणपत्र प्रपत्र 7 के प्रपत्र में होगा।

59. मध्यवर्ती प्रमाणपत्र- यदि अंतिम प्रमाणपत्र प्रथम प्रमाणपत्र की तारीख के सात दिन के भीतर जारी नहीं किया जाता है तो बीमाकृत व्यक्ति, सिवाय जहां मामला विनियम 61 के अन्तर्गत है प्रथम प्रमाणपत्र की तारीख से प्रारम्भ होने वाले सात दिन से अधिक के अन्तरालों पर प्रमाणपत्र मध्यवर्ती प्रमाणपत्र प्रपत्र 7 के प्रपत्र में देगा।

60. मजदूरी के लिए काम प्रारम्भ करने के पूर्व अंतिम चिकित्सा प्रमाणपत्र- प्रत्येक बीमाकृत व्यक्ति, मजदूरी के लिए कोई काम करने के पूर्व अंतिम प्रमाणपत्र के प्रपत्र में चिकित्सा प्रमाणपत्र अभिप्रास करेगा।

61. लम्बी कालावधि के लिए मध्यवर्ती प्रमाणपत्र- जहां अस्थायी अपंगता या बीमारी अट्ठाईस दिन तक बनी रहती है और बीमा चिकित्सा अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अपंगता या बीमारी लम्बी कालावधि तक बने रहने की संभावना है और अपंगता या बीमारी की प्रकृति के कारण परीक्षा और उपचार एक सप्ताह से अधिक के अन्तरालों पर पर्याप्त होगा, वहां बीमाकृत व्यक्ति जब तक कि उपयुक्त कार्यालय द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, चिकित्सा प्रमाणपत्र चार सप्ताहों से अधिक की ऐसी लम्बी कालावधि के अन्तरालों पर, जो बीमा चिकित्सा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, विशेष मध्यवर्ती प्रमाणपत्रों प्रपत्र 8 के प्रपत्र में देगा।

62. ***

63. बीमारी या अस्थायी अपंगता के लिए दावे का प्रपत्र- ऐसा बीमाकृत व्यक्ति जो बीमारी हितलाभ या अस्थायी अपंगता के लिए अपंगता हितलाभ का दावा करने का आशय रखता है, उपयुक्त शाखा कार्यालय को प्रपत्र 9 में हितलाभ का दावा और साथ ही उपयुक्त चिकित्सा प्रमाणपत्र डाक द्वारा या अन्यथा प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां प्रपत्र 9 में एक ही दावा, एक से अधिक प्रमाणपत्रों की बाबत प्रस्तुत किया जाता है, वहां ऐसा

-19-

प्रपत्र 9 ऐसे सभी प्रमाणपत्रों के लिए उपयुक्त समझा जाएगा।

64. चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफलता- यदि ऐसा व्यक्ति, जो बीमारी हितलाभ या अस्थायी अपंगता के लिए अपंगता हितलाभ का दावा करने का आशय रखता है, उपयुक्त शाखा कार्यालय को प्रथम चिकित्सा प्रमाणपत्र या कोई पश्चातवर्ती चिकित्सा प्रमाणपत्र, ऐसे प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख से तीन दिन की कालावधि के भीतर, डाक द्वारा या अन्यथा प्रस्तुत करने में असफल रहेगा तो वह (i) प्रथम प्रमाणपत्र की दशा में उस तारीख के जिसे प्रमाणपत्र उपयुक्त शाखा कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, पूर्व तीन दिन से अधिक (ii) पश्चातवर्ती प्रमाणपत्र की दशा में उस तारीख के जिसे ऐसा पश्चातवर्ती प्रमाणपत्र उपयुक्त शाखा कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, पूर्व चौदह दिन से अधिक किसी कालावधि की बाबत उस हितलाभ के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अन्य कार्यालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब सद्भाविक कारणों से हुआ था तो वह इस विनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों को शिथिल कर सकेगा।

अपंगता हितलाभ

65 दुर्घटना की सूचना- (i) ऐसा प्रत्येक कर्मचारी जिसे किसी कारखाने या स्थापन में अपने नियोजन से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई दुर्घटना से वैयक्तिक क्षति हुई है, ऐसी क्षति की सूचना दुर्घटना होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, या तो लिखित रूप में, या मौखिक रूप में देगा :

परन्तु ऐसी कोई सूचना जिसके दिए जाने के लिए किसी बीमाकृत व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण-यदि अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी व्यावसायिक रोग से नियोजन-क्षति होती है तो कर्मचारी से इस प्रकार की कोई भी सूचना दिए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) प्रत्येक ऐसी सूचना नियोक्ता या फोरमेन को या ऐसे अन्य पदधारी को, जिसके पर्यवेक्षणाधीन कर्मचारी दुर्घटना के समय नियोजित है, या नियोक्ता द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदभिहित किसी अन्य व्यक्ति को, दी जाएगी और उसमें उपयुक्त ब्योरे दिए जाएंगे।

(iii) इसके ठीक बाद वाले विनियम के अनुसार उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में दुर्घटना के उपयुक्त ब्योरों के संबंध में की गई कोई भी प्रविष्टि, यदि वह दुर्घटना के होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है तो इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए दुर्घटना की पर्याप्त सूचना होगी।

(iv) इस विनियम और इसके बाद वाले विनियम 'उपयुक्त ब्योरे' पद से नीचे संकेतित ब्योरे अभिप्रेत हैं-

(क) बीमाकृत व्यक्ति का पूरा नाम, बीमा संख्या, लिंग, आयु, पता, उपजीविका, विभाग और पारी;

(ख) दुर्घटना की तारीख और समय;

(ग) किस स्थान पर दुर्घटना हुई थी;

(घ) क्षति का कारण और उसकी प्रकृति;

(ङ) यदि सूचना देने वाला व्यक्ति क्षतिग्रस्त व्यक्ति से भिन्न है तो उसका नाम, पता और उपजीविका;

(च) क्षतिग्रस्त व्यक्ति क्षति के समय वास्तव में क्या कर रहा था, उसका विवरण;

(छ) ऐसे दो व्यक्तियों के नाम, पते और उपजीविका जो स्थल पर उस समय उपस्थित थे जब दुर्घटना हुई थी, और;

(ज) टिप्पणियां, यदि कोई हों;

66 दुर्घटना पुस्तक का रखरखाव- प्रत्येक नियोक्ता-

(i) प्रपत्र 11 में एक पुस्तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'दुर्घटना पुस्तक' कहा गया है) का रखरखाव करेगा जो

आसानी से प्राप्त की जा सकेगी और जिसमें उस दुर्घटना की उपयुक्त ब्योरे दर्ज किए जा सकेंगे, जिससे किसी कर्मचारी को वैयक्तिक क्षति हुई है:

- (ii) ऐसी पुस्तक के पूरा हो जाने पर उसे, उसमें की गई अन्तिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए परिरक्षित रखेगा परन्तु अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी व्यावसायिक रोग से हुई किसी नियोजन-क्षति के ब्योरे उक्त दुर्घटना पुस्तक में दर्ज करने आवश्यक नहीं होंगे :
परन्तु यह और कि यदि नियोक्ता द्वारा रखे गए किसी रजिस्टर में उपयुक्त ब्योरे भी दर्शाए जाते हैं तो यह समझा जाएगा कि नियोक्ता ने इस विनियम का पर्याप्त रूप से अनुपालन कर दिया है।

67 दुर्घटना पुस्तक में प्रविष्टि करने से भिन्न रूप में सूचना-यदि विनियम 65 के अधीन किसी नियोजन क्षति की सूचना दुर्घटना पुस्तक में प्रविष्टि करने से भिन्न रूप में दी जाती है, तो नियोक्ता का या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का, जिसे ऐसी सूचना उस विनियम के अधीन दी गई है, यह कर्तव्य होगा कि वह उस दुर्घटना की बाबत जिससे सूचना का सम्बन्ध है ऐसी सूचना प्राप्त करने के ठीक पश्चात् पुस्तक में उपयुक्त प्रविष्टि करे और जहां सूचना लिखित रूप में से भिन्न रूप में प्राप्त की जाती है, वहां वह उस व्यक्ति को, जिसने सूचना दी है, ब्योरे पढ़कर सुना दे और दुर्घटना पुस्तक में उसका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले ले।

68 नियोक्ता द्वारा दुर्घटना की सूचना- प्रत्येक नियोक्ता प्रपत्र 12 में एक रिपोर्ट उपयुक्त शाखा कार्यालय और कर्मचारी बीमा चिकित्सा अधिकारी को-

- (i) यदि क्षति गम्भीर है, अर्थात् इससे मृत्यु या स्थायी अपंगता या सदस्य की हानि की सम्भावना है, तो तुरन्त देगा, और
(ii) किसी अन्य दशा में, विनियम 65 के अधीन सूचना प्राप्त होने के पश्चात् या उस समय के अडतालीस घंटों के भीतर देगा जब दुर्घटना की जानकारी नियोक्ता को या फोरमेन या ऐसे अन्य पदधारी को जिसके पर्यवेक्षण के अधीन वह बीमाकृत व्यक्ति दुर्घटना के समय नियोजित था या नियोक्ता द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किसी अन्य व्यक्ति को मिलती है;

परन्तु गम्भीर क्षति की दशा में और विशिष्ट रूप से जब क्षति के परिणामस्वरूप नियोजन स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है बीमा चिकित्सा अधिकारी और शाखा कार्यालय को दी जाने वाली रिपोर्ट विशेष संदेशवाहक से या अन्यथा, परिस्थितियों के अनुसार यथासाध्य शीघ्र भेजी जाएगी।

परन्तु यह और कि यदि कर्मचारी दुर्घटना कारण आरम्भ में ही काम पर अनुपस्थित नहीं होता है तो नियोक्ता शाखा कार्यालय और बीमा चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट नहीं भेज सकता है किन्तु यदि कर्मचारी क्षति के परिणामस्वरूप काम पर अनुपस्थित रहता है तो ऐसी अनुपस्थिति के अडतालीस घंटों के भीतर नियोक्ता ऐसी रिपोर्ट भेजेगा :

परन्तु यह जो कि जहां नियोक्ता दुर्घटना की रिपोर्ट कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन करता है, वहां शाखा कार्यालय और बीमा चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट उसी प्रपत्र में की जा सकेगी जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन विहित किया गया है परन्तु यह तब जब कि प्रपत्र 16 के अधीन अपेक्षित सभी अतिरिक्त जानकारी उसके साथ दे दी गई हो।

परन्तु यह और कि यदि नियोजन क्षति, अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी व्यावसायिक रोग से हुई है तो नियोक्ता के लिए प्रपत्र 16 में रिपोर्ट भेजना आवश्यक नहीं होगा किन्तु नियोक्ता, मांग किए जाने पर, उपयुक्त शाखा कार्यालय को ऐसी उचित कालावधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी जानकारी और ब्योरे देगा जिनकी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नियोजन की प्रकृति और उससे संबंधित अन्य सुसंगत परिस्थितियों की बाबत अपेक्षा की जाएगी।

69 नियोक्ता द्वारा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था किया जाना-

प्रत्येक नियोक्ता ऐसे प्राथमिक उपचार और चिकित्सा देखरेख की तथा ऐसा उपचार और देखरेख अभिप्राप्त करने के लिए परिवहन की व्यवस्था करेगा जो दुर्घटना की परिस्थितियों के अनुसार उस समय तक के लिए आवश्यक समझी जाए जब तक कि बीमा चिकित्सा अधिकारी बीमाकृत व्यक्ति को देख न ले और ऐसा नियोक्ता उस व्यय की बाबत प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा जो उसने उसके लिए व्ययगत किया है किन्तु यह व्यय के उस मान से अधिक नहीं होगा जो निगम द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

परन्तु यदि नियोक्ता से, किसी अन्य अधिनियमन के अधीन यह अपेक्षित है कि वह ऐसा चिकित्सा उपचार निशुल्क दे तो वह व्यय की किसी प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

70 नियोक्ता द्वारा दुर्घटना के अतिरिक्त व्योरो का दिया जाना- प्रत्येक नियोक्ता, उपयुक्त कार्यालय को दुर्घटना की ऐसी अतिरिक्त जानकारी और व्योरे ऐसे समय के भीतर देगा जैसा कि उक्त कार्यालय लिखित रूप में अपेक्षा करे।

71 निगम द्वारा निदेश-अपंगता हितलाभ के लिए प्रत्येक दावेदार और उसे पाने वाला प्रत्येक लाभार्थी उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उसे दिए गए ऐसे प्रत्येक निदेश का अनुपालन करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह-

- (i) ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा किए जाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करे जिसे सुसंगत नियोजन क्षति का प्रभाव अथवा सुसंगत क्षति या मानसिक शक्ति की हानि का उपयुक्त उपचार अवधारित करने के प्रयोजन के लिए उस कार्यालय द्वारा नियुक्त किया जाए, या
- (ii) किसी ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या औद्योगिक पुनर्वास पाठ्यक्रम में भाग ले जिसकी व्यवस्था किसी ऐसी संस्था ने की है जो किसी सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या किसी ऐसे लोक या निजी निकाय द्वारा चलाई जा रही है जिसे निगम ने इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की है और जिसे निगम इसके लिए उपयुक्त समझे।

72 चिकित्सा बोर्ड को अभिनिर्देश- (क) ऐसे मामलों में जहां किसी नियोजन क्षति के लिए अस्थायी अपंगता हितलाभ के लिए दावा किया जाता है, वहां उस क्षति के होने की तारीख को या उसके ठीक बाद प्रारंभ होने वाली अस्थायी हितलाभ के दौर की बाबत जारी किए गए अंतिम प्रमाणपत्र की तारीख से या ऐसे मामलों में, जहां अस्थायी अपंगता हितलाभ का दावा न करके उसी आधार पर स्थायी अपंगता के लिए दावा किया जाता है, वहां नियोजन क्षति के होने की तारीख के बारह मास की कालावधि तक किसी भी समय उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय अपंग व्यक्ति की अथवा नियोक्ता या मान्यताप्राप्त किसी कर्मचारी संघ के आवेदन पर चिकित्सा बोर्ड को अभिनिर्देश कर सकेगा।

परन्तु यदि उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक, समय पर निर्देश करने के लिए आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोक दिया गया था तो वह ऐसा निर्देश उपर्युक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी कर सकेगा।

परन्तु यह और कि अस्थायी अपंगता हितलाभ के लिए दावा निगम द्वारा नामंजूर कर दिए जाने पर किन्तु बाद में ऐसी क्षतियों की बाबत जिनके परिणामस्वरूप स्थायी अपंगता हुई है, कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा मंजूर कर दिए जाने की दशा में बारह मास की कालावधि, अस्थायी अपंगता हितलाभ के लिए बीमाकृत व्यक्ति का दावा मंजूर करने वाले कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश की तारीख से लागू होगी।

या

(ख) निगम द्वारा,

- (i) बीमा चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर किसी भी समय किया जा सकेगा, और
- (ii) स्वप्रेरणा पर, उस प्रथम तारीख से जिसे दावेदार, सुसंगत नियोजन क्षति द्वारा काम के लिए असमर्थ बना दिया गया था, अट्ठाईस दिन की कालावधि के समाप्त होने के पश्चात् किया जा सकेगा।

73 चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट- चिकित्सा बोर्ड अपंग व्यक्ति की परीक्षा करने के पश्चात् अपना विनिश्चय, ऐसे प्रपत्र में, जो महानिदेशक विनिर्दिष्ट करे, उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेगा। अपंग व्यक्ति को चिकित्सा बोर्ड के विनिश्चय और ऐसी हितलाभ की, यदि कोई हो, जिसके लिए अपंग व्यक्ति हकदार होगा, सूचना लिखित रूप में दी जाएगी।

74 व्यावसायिक रोग- यह प्रश्न कि अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी व्यावसायिक रोग से कोई नियोजन क्षति हुई या नहीं, ऐसे विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा जो अपंग व्यक्ति की परीक्षा करेगा और एक रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में, जो महानिदेशक इस निमित्त विहित करे उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय को निम्नलिखित कथन करते हुए भेजेगा-

(क) क्या अपंग व्यक्ति, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी एक रोग या अधिक रोगों से ग्रस्त है।

(ख) क्या सुसंगत रोग के परिणामस्वरूप स्थायी अपंगता हुई है।

-22-

(ग) क्या अनंतिम रूप से या अंतिम रूप से यह निर्धारित किया जा सकता है कि अर्जन क्षमता की कितनी हानि हुई है।

(घ) अर्जन क्षमता की हानि के अनुपात का निर्धारण और अनंतिम निर्धारण की दशा में ऐसा निर्धारण कितनी कालावधि के लिए प्रभावी रहेगा

उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे सभी निर्धारण, जो अनंतिम है, विशेष चिकित्सा बोर्ड को पुनर्विलोकन के लिए उस कालावधि की समाप्ति तक निर्दिष्ट कर सकेगा जो अनंतिम निर्धारण करते समय ध्यान में रखी गई थी। वह विशेष चिकित्सा बोर्ड के किसी भी विनिश्चय का किसी भी समय पुनर्विलोकन

कर सकेगा। अपंग व्यक्ति को, विशेष चिकित्सा बोर्ड के विनिश्चय और उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय हितलाभ की, यदि कोई हो, जिसके लिए अपंग व्यक्ति हकदार होगा, सूचना लिखित रूप में देगा।

75 चिकित्सा बोर्ड/विशेष चिकित्सा बोर्ड का गठन- निगम अधिनियम के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा बोर्ड और विनियम 74 के प्रयोजनों के लिए विशेष चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा और जहां वह ऐसा करना चाहता है, वहां वह उसके गठन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध कर सकेगा और इनमें उतने ही व्यक्ति होंगे, उन्हें ऐसी अधिकारिता होगी और वे ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो महानिदेशक समय-समय पर विनिश्चित करे।

76. चिकित्सा अपील अधिकरण- राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उतने चिकित्सा अपील अधिकरणों का गठन करेगी जितने वह ठीक समझे। ऐसे प्रत्येक चिकित्सा अपील अधिकरण में उतने व्यक्ति होंगे, वे ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे और ऐसी प्रक्रिया (उस रीति और उस समय के सिवाय, जिसमें अपीलें फाइल की जा सकेंगी, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए) का अनुसरण करेगा जो राज्य सरकार निगम से परामर्श करके समय-समय पर विनिश्चित करे। इसके द्वारा किए गए संशोधनों के होते हुए भी, अधिनियम के उन उपबन्धों के प्रवृत्त होने की तारीख को, जो चिकित्सा अपील प्राधिकरण से संबंधित है, लंबित सभी अपीलों का निपटारा अपील अधिकरण द्वारा किया जाएगा।

76. क. स्थायी अपंगता हितलाभ के लिए दावों का प्रस्तुत किया जाना- ऐसा बीमाकृत व्यक्ति जो चिकित्सा बोर्ड या चिकित्सा अपील अधिकरण या किसी कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा स्थायी रूप से अपंग घोषित किया गया है, स्थायी अपंगता हितलाभ का दावा प्रपत्र 14 में उपयुक्त शाखा कार्यालय को डाक द्वारा या अन्यथा प्रस्तुत करेगा जो प्रथम संदाय की दशा में के सिवाय एक या एक से अधिक पूर्ण कलेंडर मास की कालावधि की बाबत होगा।

76. ख. स्थायी अपंगता हितलाभ का संराशीकरण-(1) ऐसा बीमाकृत व्यक्ति, जिसकी स्थायी अपंगता अंतिम रूप से निर्धारित की गई है, और जिसकी 5.00 रूपए प्रति दिन से अनधिक की दर पर स्थायी अपंगता हितलाभ प्रदान किया गया है, स्थायी अपंगता हितलाभ की एकमुश्त राशि में संराशीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा :

परन्तु यह कि वह बीमाकृत व्यक्ति, जिसकी स्थायी अपंगता का निर्धारण अंतिम रूप से किया जा चुका है और हितलाभ दर 5.00 रु. प्रतिदिन से अधिक होती है, स्थायी अपंगता हितलाभ के संराशीकरण के लिए आवेदन दे सकता है, बशर्ते एक मुश्त स्थायी अपंगता हितलाभ का कुल संराशीकरण मूल्य उसकी स्थायी अपंगता के अन्तिम पंचाट के आरम्भ होने के समय 30,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह और कि इस विनियम के खण्ड (3) के अधीन आने वाले ऐसे मामलों को, जहां संराशीकरण इसलिए नामंजूर किया गया है क्योंकि बीमाकृत व्यक्ति के औसत आयु तक जीवित रहने की प्रत्याशा नहीं है, फिर से चालू नहीं किए जाएंगे।

(2) जहां ऐसा कोई आवेदन उस तारीख के छह मास के भीतर किया गया है जिसे वह संराशीकरण के लिए विकल्प कर सकता है और जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संभव विकल्प की तारीख' कहा गया है, वहां स्थायी अपंगता हितलाभ का एकमुश्त राशि में संराशीकरण किया जाएगा।

(3) जहां ऐसा आवेदन, संभव विकल्प की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किया गया है, वहां कालिक संदायों का एकमुश्त राशि में संराशीकरण तभी किया जा सकेगा जब निगम का यह समाधान हो जाता है कि बीमाकृत व्यक्ति के उसके औसत आयु तक जीवित रहने की प्रत्याशा है। इस प्रयोजन के लिए बीमाकृत व्यक्ति, यदि उपयुक्त कार्यालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जिसे महानिदेशक साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, परीक्षा की जाने के लिए उपस्थित होगा।

(4) इस विनियम के प्रयोजन के लिए संभव विकल्प की तारीख से-

(i) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस तारीख का, जिसे यह विनियम प्रवृत्त होता है, उपविनियम (i) के अंतर्गत आने वाली स्थायी अपंगता हितलाभ पा रहा है, इस विनियम के प्रवृत्त होने की तारीख अभिप्रेत हैं

-23-

(ii) किसी अन्य बीमाकृत व्यक्ति की दशा में वह तारीख अभिप्रेत है जिसे उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय में उसे उपविनियम (i) के अन्तर्गत दी जाने वाली स्थायी अपंगता के निर्धारण की संसूचना दी है।

(5) इस विनियम के अधीन अनुज्ञेय एकमुश्त रकम का निर्धारण अपंगता की दैनिक दर को इन विनियमों की अनुसूची 3 के स्तम्भ 2 में संकेतित उस अंक से गुणा करके किया जाएगा जो बीमाकृत व्यक्ति की उस आयु के तत्समान है, जिस आयु का वह संराशीकरण के लिए अपना आवेदन उपयुक्त कार्यालय में प्राप्त किए जाने की तारीख को अपने पिछले जन्मदिन के अनुसार हो गया है और उस तारीख से ही उसे स्थायी अपंगता हितलाभ संदेय नहीं होगा।

परन्तु यह और कि जहां उपयुक्त कार्यालय द्वारा अपेक्षित रूप में आयु का ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है या यदि पेश किया गया है तो उपयुक्त कार्यालय ने उसे समाधानप्रद रूप में स्वीकार नहीं किया है, वहां बीमाकृत व्यक्ति की उपर्युक्त तत्समान आयु वह होगी जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षा की तारीख को प्राक्कलित की गई है और जिसे उस कालावधि से समायोजित किया गया है जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षा की तारीख और उस तारीख के बीच में पड़ती है जिसे संराशीकरण के लिए आवेदन उपयुक्त कार्यालय में प्राप्त किया गया था।

परन्तु यह और कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा इस प्रकार प्राक्कलित आयु के विरुद्ध ऐसा कोई भी आयु का सबूत मान्य नहीं होगा जो उतने समय के

पश्चात् पेश किया जाए जितना कि इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त कार्यालय ने बीमाकृत व्यक्ति को उसका मामला चिकित्सा बोर्ड के यहां अभिनिर्देशित किए जाने के पूर्व अनुज्ञात किया था।

आश्रितजन हितलाभ

77. बीमाकृत व्यक्ति की नियोजन-क्षति से मृत्यु हो जाने की रिपोर्ट- किसी नियोजन क्षति के परिणामस्वरूप किसी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में-

(क) यदि मृत्यु नियोजन स्थल पर ही होती है जो नियोक्ता और

(ख) यदि मृत्यु किसी अन्य स्थान पर होती है तो वह व्यक्ति जो हितलाभ का दावा करने का इरादा रखता है, या

(ग) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो मृत्यु के समय उपस्थित है,

मृत्यु की रिपोर्ट निकटतम शाखा कार्यालय और निकटतम औषधालय, अस्पताल, निदानशाला या अन्य संस्था को जहां अधिनियम के अधीन चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध है, तुरंत कर सकेगा।

78. नियोजन क्षति से मरने वाले किसी कर्मचारी के शव की अन्त्येष्टि- जहां किसी कर्मचारी की मृत्यु अधिनियम के अधीन कर्मचारी के रूप में नियोजन क्षति के परिणामस्वरूप हो जाती है, वहां कर्मचारी के शव की अन्त्येष्टि तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसके शव की जांच किसी बीमा चिकित्सा अधिकारी द्वारा न कर ली जाए, जो किसी अन्य विद्यमान अभिकरण के सहयोग से उसकी शव परीक्षा की, यदि आवश्यक समझा जाए तो, व्यवस्था भी करेगा।

परन्तु यदि बीमा चिकित्सा अधिकारी, ऐसी मृत्यु के बारह घण्टे के भीतर शव की जांच करने के लिए पहुंचने में असमर्थ है तो ऐसे चिकित्सा अधिकारी या व्यवसायी से, जो भी उपलब्ध हो, प्रमाणपत्र अभिप्रास करने के पश्चात् शव की अन्त्येष्टि की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि इस विनियम की कोई भी बात मृत्यु समीक्षक (कारोन्तर को) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 174 के प्रदत्त किसी शक्ति के अल्पीकरण में नहीं होगी।

79. मृत्यु प्रमाणपत्र का जारी किया जाना-अपंग व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी परिचर्या करने वाला कोई बीमा चिकित्सा अधिकारी या ऐसा बीमा चिकित्सा अधिकारी जो मृत्यु के पश्चात् शव की जांच करता है या ऐसा चिकित्सा अधिकारी, जिसने बीमाकृत व्यक्ति की उस अस्पताल या अन्य संस्था में परिचर्या की है, जहां ऐसे अपंग व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मृतक के आश्रितों को प्रपत्र 13 में मृत्यु प्रमाणपत्र निशुल्क जारी करेगा और उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय को एक रिपोर्ट भेजेगा।

80 आश्रितजन हितलाभ के लिए दावे का पेश किया जाना- (1) आश्रितजन हितलाभ के लिए दावा, संबंधित आश्रित या आश्रितों द्वारा या उनके विधिक प्रतिनिधि द्वारा या अवयस्क की दशा में उसके संरक्षक द्वारा उपयुक्त शाखा कार्यालय को प्रपत्र 15 में डाक द्वारा या अन्यथा पेश किया जाएगा और ऐसे दावे का समर्थन ऐसे दस्तावेजों से किया जाएगा जिनसे यह साबित किया जाएगा कि:-

-24-

(i) मृत्यु नियोजन-क्षति के कारण हुई है।

(ii) दावा करने वाला व्यक्ति ऐसा आश्रित है जो क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 58 में यथा-उपबंधित दावा करने का हकदार है।

(iii) दावेदार की क्या आयु है।

(iv) क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 58 अधिनियम की प्रथम अनुसूची के पैरा 8 की परिधि में शिथिलांग का दावा करने वाले आश्रित का अंगशैथिल्य, ऐसे चिकित्सा या अन्य प्राधिकारी के जिसे महानिदेशक साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रमाणपत्र द्वारा साबित किया जाएगा।

परन्तु जहां आवेदक के सद्भावपूर्वक होने के बारे में या ऊपरवर्णित किसी विषय से संबंधित तथ्यों की सत्यता के बारे में उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय का समाधान हो जाता है, वहां एक से अधिक दस्तावेजों की छूट दी जा सकेगी।

(2) निम्नलिखित दस्तावेज आयु के सबूत के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं-

(क) जन्म संबंधी किसी शासकीय अभिलेख से प्रमाणित उद्घरण जिसमें जन्म की तारीख, स्थान और पिता का नाम दर्शित होगा।

(ख) जन्म के तुरंत पश्चात् तैयार की गई मूल जन्मपत्री।

(ग) नामकरण-संस्कार संबंधी रजिस्टर से प्रमाणित उद्घरण।

- (घ) विद्यालय अभिलेख से प्रमाणित उद्धरण, जिसमें जन्म की तारीख और पिता का नाम दर्शित होगा।
(ङ) ऐसा अन्य साक्ष्य, जिसे उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में स्वीकार करे।

81. आश्रितजन हितलाभ के लिए सूचना- किसी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की बाबत आश्रितजन हितलाभ के लिए दावे या दावों के प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो मृत्यु की परिस्थितियों और कारण के बारे में और ऐसे सभी व्यक्तियों के बारे में आवश्यक हों जो आश्रितजन हितलाभ के लिए हकदार हो सकते हैं, उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे व्यक्तियों को, यदि कोई हों, जो जांच किए जाने पर आश्रितजन हितलाभ के लिए हकदार प्रतीत होते हैं और जिन्होंने ऐसे हितलाभ के लिए अभी दावा पेश नहीं किया है, पंजीकृत डाक द्वारा या अन्यथा, एक सूचना जारी करेगा जिसमें ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर आश्रितजन हितलाभ के लिए दावे पेश करने के लिए कहा जाएगा। सूचना में, अन्य बातों के साथ आश्रितजन हितलाभ के लिए दावा पेश करने के लिए अधिनियम और विनियमों के सुसंगत उपबन्ध और प्रक्रिया भी संकेतित की जाएगी।

82 आश्रितजन हितलाभ के बारे में विनिश्चय की सूचना- ऐसी कालावधि जिसके दौरान दावे विनियम 81 के अधीन जारी की गई सूचना के निबन्धनों के अनुसार पेश किए जा सकेंगे, समाप्ति के पश्चात् यथासंभव शीघ्र उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय, प्रत्येक आश्रित के दावे के बारे में निगम के विनिश्चय की सूचना संबंधित आश्रित या उसके विधिक प्रतिनिधि को या अवयस्क की दशा में उसके संरक्षक को लिखित रूप में, पंजीकृत डाक द्वारा देगा।

83 आश्रितजन हितलाभ के प्रोद्भव की तारीख- आश्रितजन हितलाभ उस मृत्यु की तारीख से प्रोद्भूत होगी जिसकी बाबत संदेय है या जहां अपंगता हितलाभ संदेय थी या जहां मजदूरी संदेय थी, वहां मृत्यु की तारीख के बाद वाली तारीख उसके संदेय होने तक के लिए प्रोद्भूत होगी।

83-क. आश्रितजन हितलाभ के कालिक संदायों के लिए दावों का पेश किया जाना- ऐसा प्रत्येक आश्रित जिसका आश्रितजन हितलाभ के लिए दावा विनियम 82 के अधीन स्वीकार किया जाता है, प्रपत्र 18-क में एक दावा उपयुक्त शाखा कार्यालय को डाक द्वारा या अन्यथा पेश करेगा जिसके अन्तर्गत प्रथम या अंतिम संदाय की दशा को छोड़कर एक या एक से अधिक पूर्ण कलेण्डर मास की कालावधि होगी। ऐसा दावा हिताधिकारी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा या अवयस्क की दशा में उसके संरक्षक द्वारा किया जा सकेगा।

84 ***

-25-

85 ***

86 दूसरे संरक्षक की नियुक्ति- यदि किसी भी समय उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय का समाधान हो जाता है कि उस बालक की, जो आश्रितजन हितलाभ पर रहा है, उसके ऐसे संरक्षक द्वारा उपेक्षा की जा रही है जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अधीन नियुक्त संरक्षक नहीं है और बालक के आश्रितजन हितलाभ का अंश उसके भरण-पोषण पर उचित रूप से व्यय नहीं किया जा रहा है तो उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे अंश का संदाय ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह विनिर्दिष्ट करे, ऐसे अन्य व्यक्ति को किया जा सकेगा जिसे वह ठीक समझे और जो उसकी राय में उसका उपयोग बालक की देख-रेख और भरण-पोषण के लिए करेगा।

मातृत्व-हितलाभ

87 गर्भावस्था की सूचना- ऐसी कोई बीमाकृत महिला जो प्रसवावस्था के पूर्व गर्भावस्था की सूचना देने का विनिश्चय करती है, उपयुक्त शाखा कार्यालय को ऐसी सूचना प्रपत्र 17 में डाक द्वारा या अन्यथा देगी और ऐसी सूचना के साथ गर्भावस्था का एक ऐसा प्रमाणपत्र भी प्रपत्र 17 में पेश करेगी जो इन विनियमों के अनुसार उस तारीख को दिया गया हो जो उस तारीख से सात दिन पहले की न हो जिस तारीख को ऐसी सूचना दी गई है।

88 प्रसवावस्था के पूर्व प्रारंभ होने वाले मातृत्व-हितलाभ के लिए दावा- प्रसवावस्था से पूर्व मातृत्व हितलाभ का दावा करने वाली प्रत्येक बीमाकृत महिला उपयुक्त शाखा कार्यालय को डाक द्वारा या अन्यथा निम्नलिखित प्रमाणपत्र और दावा पेश करेगी।

- प्रसवावस्था की प्रत्याशित तारीख के पूर्व पचास दिन के उपरान्त, इन विनियमों के अनुसार प्रपत्र 18 में दिया गया आशयित प्रसवावस्था का प्रमाणपत्र।
- मातृत्व हितलाभ के लिए प्रपत्र 19 में दावा, जिसमें उस तारीख का कथन किया जाएगा जिसे उसने पारिश्रमिक के लिए काम करना छोड़ दिया है या छोड़ देगी।
- जिस तारीख को प्रसवावस्था होती है, उसके तीस दिन के भीतर इन विनियमों के अनुसार प्रपत्र 18 में दिया गया प्रसवावस्था का प्रमाणपत्र।

89 प्रसवावस्था के पश्चात् या गर्भपात के लिए मातृत्व-हितलाभ के लिए दावा- गर्भपात के लिए मातृत्व हितलाभ का दावा करने वाली प्रत्येक बीमाकृत महिला, गर्भपात की तारीख के तीस दिन के भीतर और प्रसवावस्था के पश्चात्-हितलाभ का दावा करने वाली प्रत्येक बीमाकृत महिला मातृत्व-हितलाभ के लिए दावा प्रपत्र 19 में और साथ ही इन विनियमों के अनुसार प्रपत्र 18 में दिया गया प्रसवावस्था या गर्भपात का प्रमाणपत्र उपयुक्त कार्यालय को

डाक द्वारा या अन्यथा पेश करेगी।

89-क. ऐसी बीमाकृत महिला की मृत्यु के पश्चात मातृत्व-हितलाभ के लिए दावा जो अपने पीछे बच्चा छोड़ गई है- अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यक्ति, जिसे ऐसी बीमाकृत महिला ने, जिसकी मृत्यु हो गई है, प्रपत्र 1 पर या ऐसे किसी अन्य प्रपत्र पर जो महानिदेशक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, नामनिर्दिष्ट किया हो और यदि ऐसा कोई नामनिर्देशिनी नहीं है तो विधिक प्रतिनिधि उस मातृत्व-हितलाभ के लिए दावा, जो शोध्य हो, बीमाकृत महिला की मृत्यु के तीस दिन के भीतर प्रपत्र 20 में और साथ ही इन विनियमों के अनुसार प्रपत्र 21 में दिया गया मृत्यु का प्रमाणपत्र उपयुक्त कार्यालय को डाक द्वारा अन्यथा पेश करेगा।

89-ख. गर्भावस्था, प्रसवावस्था, समय पूर्व बालक-जन्म या गर्भपात से उत्पन्न होने वाली बीमारी की दशा में मातृत्व-हितलाभ के लिए दावा-

(1) गर्भावस्था, प्रसवावस्था, समय पूर्व बालक-जन्म या गर्भपात से उत्पन्न होने वाली बीमारी की दशा में मातृत्व हितलाभ का दावा करने वाली प्रत्येक बीमाकृत महिला हितलाभ के लिए दावा प्रपत्र 9 में जो मामले की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो और साथ ही इन विनियमों के अनुसार, यथास्थिति, प्रपत्र 7 या 8 में दिया गया उपयुक्त चिकित्सा प्रमाणपत्र उपयुक्त कार्यालय को डाक द्वारा या अन्यथा पेश करेगी।

(2) विनियम 55 से 61 तक के और विनियम 64 के उपबन्ध, इस विनियम के अनुसार पेश किए गए दावे और दिए गए विनियमों के संबंध में यथा-शक्य, ऐसे लागू होंगे जैसे वे इन विनियमों के अधीन प्रमाणन और दावों को लागू करते हैं।

-26-

90 प्रमाणपत्र के बदले में अन्य साक्ष्य- निगम गर्भावस्था, प्रत्याशित प्रसवावस्था, प्रसवावस्था, प्रसूति के दौरान मृत्यु गर्भपात के या गर्भावस्था, प्रसवावस्था, समय पूर्व बालक जन्म-मृत्यु या गर्भपात से उत्पन्न होने वाली बीमारी के बारे में किसी बीमा चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के बदले में कोई अन्य साक्ष्य उस दशा में स्वीकार कर सकेगा जब उसकी यह राय है कि किसी विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में ऐसा करना न्यायोचित है।

91 पारिश्रमिक के लिए काम की सूचना- विनियम 89-ख में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय ऐसी प्रत्येक बीमाकृत महिला, जिसने मातृत्व-हितलाभ का दावा किया है, प्रपत्र 19 में सूचना उस दशा में देगी जब कि वह उस कालावधि के दौरान किसी दिन काम करती है जिस कालावधि के लिए उसे मातृत्व हितलाभ तब संदेय होता जब वह पारिश्रमिक के लिए काम न करती।

92 मातृत्व हितलाभ के संदाय की तारीख- मातृत्व हितलाभ उस तारीख से संदेय होगा जिस तारीख से उसके लिए दावा किया गया है परन्तु यह तब जब कि ऐसी तारीख गर्भावस्था की प्रत्याशित तारीख से बयालीस दिन से अधिक के पूर्व की न हो और बीमाकृत महिला ने पारिश्रमिक के लिए कोई भी काम अपने हाथ में न लिया हो।

93 मातृत्व हितलाभ के लिए निरर्हता- यदि कोई बीमाकृत महिला, ऐसी अपेक्षा किए जाने पर, चिकित्सा परीक्षा के लिए हाजिर होने में या उसके लिए स्वयं को प्रस्तुत करने में अच्छे कारण के बिना असफल रहती है तो उसे मातृत्व हितलाभ पाने से निरर्हित किया जा सकेगा और ऐसी निरर्हता उतने दिनों तक रहेगी जितने दिन निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी विनिश्चय करे।

परन्तु कोई महिला, महिला डॉक्टर या सेविका (मिडवाइफ) से भिन्न किसी से अपनी परीक्षा कराने के लिए इन्कार कर सकेगी।

94. वह प्राधिकारी जो प्रमाणपत्र दे सकेगा- विनियम 87 से विनियम 89-ख तक के किसी विनियम के अधीन अपेक्षित कोई भी प्रमाणपत्र केवल ऐसा बीमा चिकित्सा अधिकारी दे सकेगा जिसके जिम्मे बीमाकृत महिला की गई है या की गई थी या केवल ऐसा बीमा चिकित्सा अधिकारी परीक्षा करेगा और यदि उसकी राय में महिला की दशा ऐसी है कि ऐसा करना न्यायोचित है या बीमाकृत महिला की मृत्यु या बालक की मृत्यु की दशा में, उसका समाधान ऐसी मृत्यु के बारे में हो जाए तो, ऐसी बीमाकृत महिला को या उसकी मृत्यु की दशा में, यथास्थिति, उसके नामनिर्देशिनी या विधिक प्रतिनिधित्व को ऐसा कोई भी प्रमाणपत्र उस दशा में निशुल्क दे सकेगा जब, यथास्थिति, ऐसी बीमाकृत महिला या उसके नामनिर्देशिनी या विधिक प्रतिनिधि द्वारा अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित या इन विनियमों के अधीन या उनके प्रयोजनों के लिए उचित रूप से अपेक्षा की जाए।

परन्तु यह कि ऐसा अधिकारी, इन विनियमों के अधीन यथापूर्वोक्त प्रमाणपत्र ऐसी बीमाकृत महिला को या उसकी बाबत जो उसके जिम्मे या ऐसे औषधालय, अस्पताल, क्लिनिक या अन्य निगम के जिम्मे नहीं की गई है या नहीं की गई थी जिससे वह अधिकारी सम्बद्ध है, उस दशा में दे सकेगा जब कि ऐसा अधिकारी जन्म-पूर्व देखरेख के लिए, प्रसवावस्था के लिए, गर्भपात के लिए, या गर्भावस्था, प्रसवावस्था, समय-पूर्व बालक जन्म या गर्भपात से उत्पन्न होने वाली बीमारी के लिए उस महिला की परिचर्या कर रहा है अथवा मृत्यु हो जाने की दशा में बीमाकृत मृत महिला या बालक की मृत्यु के समय उसकी परिचर्या कर रहा था।

परन्तु यह और कि गर्भावस्था का, प्रत्याशित प्रसवावस्था का, प्रसवावस्था या गर्भपात का इन विनियमों के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र पंजीकृत सेविका (मिडवाइफ) द्वारा दिया जा सकेगा जिसे निगम बीमा चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर स्वीकार करेगा।

95. बीमा चिकित्सा अधिकारी की बाध्यताएं- इन विनियमों की कोई भी बात ऐसे किसी बीमा चिकित्सा अधिकारी को जिसके जिम्मे कोई बीमाकृत

महिला की गई है, या ऐसे बीमा चिकित्सा अधिकारी को जो उस औषधालय, अस्पताल, क्लिनिक या अन्य निगम से सम्बद्ध है जिसके जिम्मे कोई बीमाकृत महिला की गई है उस कालावधि के दौरान, जब ऐसी बीमाकृत महिला किसी अन्य व्यक्ति से या किसी अन्य अस्पताल या निगम से उपचार या परिचर्या अभिप्रास कर रही है, परीक्षा करने की और यदि उसकी यह राय है कि महिला की दशा में ऐसा करना न्यायोचित है तो, गर्भावस्था का, प्रत्याशित प्रसवावस्था का, या प्रसवावस्था या गर्भपात या गर्भावस्था, प्रत्याशित प्रसवावस्था, समयपूर्व बालक-जन्म या गर्भपात से उत्पन्न होने वाली बीमारी का, प्रमाणपत्र निशुल्क देने की बाध्यता से मुक्त नहीं करेगी।

परिवार के लिए चिकित्सा हितलाभ

95-क. बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार के लिए चिकित्सा हितलाभ-

- (1) बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार के लिए चिकित्सा हितलाभ का विस्तार ऐसी तारीख से किया जाएगा जो निगम, राज्य सरकार से परामर्श करके अधिसूचित करे।
- (2) किसी बीमाकृत व्यक्ति का परिवार चिकित्सा हितलाभ का उस तारीख से हकदार होगा जिस तारीख को बीमाकृत व्यक्ति अपने लिए चिकित्सा हितलाभ का हकदार होता है और उसका परिवार तब तक इस प्रकार हकदार बना रहेगा जब तक कि बीमाकृत व्यक्ति अपने लिए चिकित्सा हितलाभ पाने का हकदार है या बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की दशा में उसका परिवार उस तारीख तक हकदार बना रहेगा जब तक कि बीमाकृत व्यक्ति जीवित रहता तो चिकित्सा देखरेख के लिए हकदार बना रहता।
- (3) बीमाकृत व्यक्ति का परिवार जिस चिकित्सा हितलाभ के लिए हकदार होगा, उसकी प्रकृति और उसका पैमाना वह होगा जो राज्य सरकार निगम से परामर्श और समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करे।
- (4) उपयुक्त कार्यालय चिकित्सा हितलाभ के लिए हकदार परिवार की ब्योरे प्रपत्र 4, प्रपत्र 4-क में जोड़ने की व्यवस्था करेगा।
- (5) ***

अन्त्येष्टि-खर्च

95-ख बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट- किसी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी मृत्यु की रिपोर्ट तुरन्त उसके शाखा कार्यालय को-

- (क) यदि मृत्यु नियोजन-स्थल पर होती है तो नियोक्ता करेगा, और
- (ख) यदि मृत्यु किसी अन्य स्थान पर होती है तो वह व्यक्ति करेगा जो अन्त्येष्टि खर्च का हकदार है और उसके लिए दावा करने का आशय रखता है, या
- (ग) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो मृत्यु के समय उपस्थित हो, कर सकेगा।

95-ग. मृत्यु प्रमाणपत्र का दिया जाना- मृत्यु के समय बीमाकृत व्यक्ति की परिचर्या करने वाला कोई बीमा चिकित्सा अधिकारी या ऐसा बीमा चिकित्सा अधिकारी जो मृत्यु के पश्चात शव की परीक्षा करता है या ऐसा चिकित्सा अधिकारी जिसने बीमाकृत व्यक्ति की उस अस्पताल या अन्य निगम में परिचर्या की है जहां ऐसे बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस व्यक्ति को, जो अन्त्येष्टि खर्च का हकदार है और उसके लिए दावा करने का आशय रखता है, प्रपत्र 13 में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करेगा।

95-घ. प्रमाणपत्र के बदले में अन्य साक्ष्य- यदि निगम की यह राय है कि किसी विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में ऐसा करना न्यायोचित है तो वह बीमा चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए मृत्यु प्रमाणपत्र के बदले में कोई अन्य साक्ष्य स्वीकार कर सकेगा।

95-ङ. अन्त्येष्टि-खर्च के लिए दावे का पेश किया जाना-

(1) अन्त्येष्टि खर्च के लिए दावा ऐसे दावेदार द्वारा, जो अधिनियम के अधीन उसके लिए हकदार है और अवयस्क की दशा में उसके संरक्षक द्वारा प्रपत्र 22 में उपयुक्त शाखा कार्यालय को, डाक द्वारा या अन्यथा, पेश किया जाएगा और ऐसे दावे का समर्थन ऐसे दस्तावेजों द्वारा किया जाएगा जिसमें-

(i) मृत व्यक्ति की मृत्यु साबित की जाएगी।

(ii) यह साबित किया जाएगा कि दावा करने वाला व्यक्ति उस बीमाकृत व्यक्ति के जिसकी मृत्यु हुई है, कुटुम्ब का सबसे बड़ा उत्तरजीवी सदस्य है और उसने मृतक की अन्त्येष्टि के लिए आवश्यक; या

(iii) उस दशा में जबकि दावेदार कुटुम्ब के सबसे बड़े उत्तरजीवी सदस्य से भिन्न है;

(क) यह साबित किया जाएगा कि मृत बीमाकृत व्यक्ति का कोई कुटुम्ब नहीं है या मृत बीमाकृत व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय अपने कुटुम्ब के साथ नहीं रह रहा था, और

(ख) यह साबित किया जाएगा कि दावेदार ने उसकी अन्त्येष्टि के लिए वास्तव में वह व्यय उपगत किया है, जिसके लिए उसने दावा किया है;

परन्तु जहां उपयुक्त कार्यालय का समाधान आवेदक के सद्भावपूर्वक होने के बारे में या ऊपर वर्णित किसी विषय से संबंधित तथ्यों की सत्यता के बारे में हो जाता है वहां एक या एक से अधिक दस्तावेजों से छूट दी जा सकेगी।

-28-

(2) इस विनियम के उप-विनियम (1) के खण्ड (ii) और खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार कर सकेगा;

दावेदार का घोषणा-पत्र जो निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित हो-

- (i) सरकार के राजस्व, न्यायिक या मैजिस्ट्रेट विभाग का कोई अधिकारी; या
- (ii) नगरपालिका आयुक्त; या
- (iii) कर्मकार प्रतिकार आयुक्त; या
- (iv) ग्रामपंचायत के मुखिया द्वारा पंचायत की शासकीय मुद्रा लगा के; या
- (v) जिस बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका नियोक्ता; या
- (vi) क्षेत्रीय बोर्ड का सदस्य; या
- (vii) स्थानीय समिति का सदस्य; या
- (viii) श्रमिक संघ का कोई पदधारी; या
- (ix) कोई बीमा चिकित्सा अधिकारी या बीमा चिकित्सा व्यवसायी।
- (ख) ऐसा कोई अन्य साक्ष्य या घोषणा-पत्र जो विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त कार्यालय को स्वीकार्य हो।

-29-

अध्याय-4

विविध

96 हितलाभ अवधारित करने के लिए प्राधिकारी- अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, नकद संदाय से भिन्न रूप में हितलाभों के मूल्य का अवधारण करने के लिए प्राधिकारी निगम का चिकित्सा आयुक्त होगा।

[96-क. चिकित्सा उपचार की बाबत उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति- बीमाकृत व्यक्ति चिकित्सीय उपचार और (जहां ऐसे चिकित्सा हितलाभ का विस्तार उसके कुटुम्ब के लिए किया गया है वहां) उसके कुटुम्ब के चिकित्सीय उपचार की बाबत उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए दावे, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों पर स्वीकार किए जा सकेंगे जो निगम, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।]

97. हितलाभ देना बन्द करना या उन्हें घटाना- नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उनकी सेवा की शर्तों पर दिए जाने वाले ऐसे हितलाभों को जो अधिनियम द्वारा प्रदत्त हितलाभों के समान हैं, नीचे विनिर्दिष्ट विस्तार तक बन्द कर सकेगा या घटा सकेगा, अर्थात् :

(क) अपने कारखाने या स्थापन के लिए नियत दिन के बाद वाली प्रथम हितलाभ कालावधि के प्रारंभ की तारीख से

(i) आधे वेतन पर बीमारी छुट्टी पूरे विस्तार तक;

(ii) साधारण प्रयोजनों के लिए और आधे वेतन पर बीमारी छुट्टी की समुच्चयित छुट्टी के उस अनुपात तक जो बीमारी छुट्टी के रूप में मानी जाए, किन्तु किसी भी दशा में ऐसी समुच्चयित छुट्टी के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं;

(ख) महिला कर्मचारी को मंजूर किए गए कोई मातृत्व हितलाभ उस विस्तार तक जिस तक ऐसी महिला कर्मचारी अधिनियम के अधीन मातृत्व हितलाभ के लिए हकदार हो :

परन्तु जहां कोई कर्मचारी, बीमारी, मातृत्व, या अस्थायी अपंगता के लिए नियोक्ता से कोई छुट्टी लेता है, वहां नियोक्ता, कर्मचारी के छुट्टी वेतन में से मातृत्व हितलाभ उतनी रकम की कटौती करने का हकदार होगा जितनी रकम के लिए वह संबंधी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन हकदार हो।

98 कुछ परिस्थितियों में कर्मचारी को सेवा उन्मुक्त आदि किया जाना- यदि किसी कर्मचारी की सेवा की शर्तों से ऐसा अनुज्ञात है तो नियोक्ता ऐसे किसी कर्मचारी को-

- (i) जो अस्थायी अपंगता के लिए अपंगता हितलाभ प्राप्त कर रहा है, हितलाभ छह माह या उससे अधिक की निरंतर कालावधि के लिए प्राप्त कर चुका हो,
- (ii) जिसका बीमारी के लिए चिकित्सीय उपचार हो रहा है [***] या जो ऐसी रुग्णता के परिणामस्वरूप काम से अनुपस्थित रहा है जिसके बारे में इन विनियमों के अनुसार यह प्रमाणित किया गया है कि वह गर्भावस्था या प्रसवावस्था से उत्पन्न होने वाली ऐसी रुग्णता है जिससे कर्मचारी काम के लिए अयोग्य हो गया है, जब छह माह या उससे अधिक की निरंतर कालावधि के लिए उसका ऐसा उपचार हो रहा है या वह अनुपस्थित रहा है,
- 2[(iii) जिसका उपचार निम्नलिखित किसी ऐसे रोग के लिए हो रहा है जिसे इन विनियमों के अनुसार सम्यक रूप से प्रमाणित किया गया है, जब उपचार खण्ड (i) और खण्ड (ii) उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, अठारह मास की या उससे अधिक की निरन्तर कालावधि के लिए होता रहा है, उसके पश्चात सम्यक सूचना देकर सेवा उन्मुक्त या अवनत कर सकेगा :-

I संक्रामक बीमारियां

1. यक्ष्मा
2. कुष्ठ

-30-

3. दीर्घकालीन फेफड़ों में मवाद
4. फेफड़े की सूजन
5. फेफड़े की अन्दरूनी बीमारी
6. एड्स

II नियोप्लाज़्म

7. दुर्दम रोग

III अंतःस्रावी पोषणज और चयापचयी विकार

8. प्रफली दृष्टिपटल विकृति/मधुमेहजपाद/वृक्क विकृति सहित मधुमेह मेलीटस

IV स्नायुतन्त्र की बीमारियां

9. एकांगघात
10. अर्धांगघात
11. अधरांगघात
12. अंगों का सुप्त पड़ जाना
13. विकृत अयासित करने वाला आंतरकपालीय दिवस्थान
14. कम्पनयुक्त अंगघात का रोग
15. रीढ़ रज्जु संपीडन
16. गंभीर पेशी दुर्बलता/तंत्रिका पेशी दुष्योषण

V आंख की बीमारियां

17. 6/6 या उससे कम दृक् शक्ति सहित उपक्व मोतियाबिन्दु
18. दृष्टिपटल की विलग्नता
19. ग्लूकोमा

VI हृदय रोग

20. धमनियों की बीमारी
 - (क) हृदय का अस्थिर दर्द
 - (ख) 45 प्रतिशत से कम निष्कासन सहित मायोकार्डियल इन्फराक्शन
21. रक्ताधिक्य हृदपात
 - बायां
 - दायां
22. पात/जटिलताओं सहित हृदय कपाटिका रोग
23. हृदयपेशी विकृति
24. हृदय रोग-जटिलताओं के साथ-साथ शल्यक्रिया आदि सहित

VII छाती की बीमारियां

25. रक्ताधिक्य हृदपात सहित दीर्घकालीन अवरोधी फुफ्फुस रोग

VIII पाचन प्रणाली के रोग

26. जलोदर सहित जिगर का सिरोसिस/ दीर्घकालीन सक्रिय यकृतशोथ

IX अस्थि रोग

27. कमर की हड्डी खिसक जाना/अंतरकशेरुका चक्र का भंश
28. अस्थिभंग का नहीं जुड़ना या देरी से जुड़ना
29. अस्थि शल्यक्रिया के बाद नीचे के भाग (पैरों) को काट देना
30. चिरकारी अस्थिमज्जा शोथ सहित बहुअस्थिभंग

X मनोरोग

31. इसके अंतर्गत व्याख्या के लिये उप वर्ग सूचीबद्ध हैं

-31-

- (क) पागलपन
- (ख) दिमाग का सुन्न पड़ जाना
- (ग) पागल हो जाना
- (घ) मनोभंश

XI अन्य

32. 20 प्रतिशत से अधिक जल जाना, जिसमें संक्रमण/जटिलताएं हों
33. चिरकारी गुर्द का विफल हो जाना
34. सड़न की बीमारी (रेनॉड)/ बर्गर की बीमारी

99. बीमारी या अस्थायी अपंगता हितलाभ का निलम्बन- यदि वह व्यक्ति, जो बीमारी हितलाभ या अस्थायी अपंगता के लिए अपंगता हितलाभ पा रहा है, अधिनियम की धारा 64 की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो ऐसे हितलाभ को निलम्बित किया जा सकेगा और ऐसा निलम्बन उतने दिन के लिए होगा जो महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी विनिश्चय करे।

99 क. हड़ताल के दौरान बीमारी या अस्थायी अपंगता हितलाभ- कोई व्यक्ति, निम्नलिखित परिस्थितियों के अलावा, किसी भी दिन के लिये जिस दिन वह हड़ताल पर रहता है, बीमारी हितलाभ या अस्थायी अपंगता के लिए अपंगता हितलाभ का हकदार नहीं होगा।

(i) यदि कोई व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में या ऐसे उपचार के लिए क.रा.बी. निगम द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार और परिचर्या प्राप्त कर रहा है; या

(ii) यदि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे रोग के लिए जिसके लिए ऐसे हितलाभ अनुदेय है, विस्तारित बीमारी हितलाभ प्राप्त करने का हकदार है; या

(iii) यदि कोई व्यक्ति, कर्मचारियों की यूनियन (ों) द्वारा कारखाने/स्थापन के प्रबंधकों को दिए गए हड़ताल के नोटिस के आरंभ के तुरंत पूर्व बीमारी हितलाभ या अस्थायी अपंगता के लिए अपंगता हितलाभ प्राप्त कर रहा है।

(iv) यदि कोई बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला नसबंदी/नलबंदी के कारण शल्य प्रक्रिया के कारण हड़ताल की अवधि के दौरान अवकाश पर रहता/रहती है या अवकाश के दिन के लिए वेतन प्राप्त करता है, तो वह विस्तारित बीमारी हितलाभ का पात्र होगा।

100. शिथिलीकरण- महानिदेशक, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा किसी

विनियम से छूट दे सकेगा।

101. ***

102. कुछ अधिकारियों को निरीक्षण की शक्तियां प्राप्त- महानिदेशक, बीमा आयुक्त, अपर आयुक्त, क्षेत्रीय निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और शाखा कार्यालय प्रबन्धक को अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। उक्त वर्णित अधिकारियों के अतिरिक्त, महानिदेशक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए जो वह ठीक समझे, निगम के किसी कर्मचारी या किसी सरकारी अधिकारी को लिखित आदेश द्वारा प्रदान कर सकेगा।

102.-क निरीक्षण पुस्तक- (i) प्रत्येक प्रधान नियोक्ता एक सजिल्द निरीक्षण पुस्तक बनाए रखेगा और इस बात का विचार किए बिना कि प्रधान नियोक्ता निरीक्षण के दौरान कारखाने या स्थापन में उपस्थित है, या नहीं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा या सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत निगम के किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर उसे पेश किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा।

(ii) निरीक्षण के समय पाई गई सभी अनियमितताओं और अवैधताओं का एक नोट, जिसमें वह कार्रवाई यदि कोई हो, संकेतित की जाएगी जो प्रधान नियोक्ता के विरुद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं और उसके साथ उनके उपचार या उन्हें दूर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा

अधिकारी या निगम के किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत है पारित आदेश प्रधान नियोक्ता को भेजे जाएंगे जो नोट और आदेशों को निरीक्षण पुस्तक में दर्ज करेगा।

(iii) प्रत्येक प्रधान नियोक्ता इस विनियम के अधीन रखी गई निरीक्षण पुस्तक, उसके भर जाने के पश्चात् उसमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए परिरक्षित रखेगा।

103. अपंगता के दौरान चिकित्सा हितलाभ- वह व्यक्ति जो अपंगता हितलाभ पा रहा है, ऐसा हितलाभ पाने के दौरान चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा

परन्तु अपंगता को स्थायी अपंगता के रूप में घोषित कर दिए जाने के पश्चात् वह व्यक्ति उस दशा में चिकित्सा हितलाभ का हकदार नहीं होगा जबकि वह ऐसे हितलाभ के लिए अन्यथा हकदार नहीं है किन्तु वह किसी ऐसे चिकित्सीय उपचार की बाबत हकदार होगा जो उस नियोजन क्षति के लिए आवश्यक हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप अपंगता हुई है।

103-क अंशदान संदेय न रह जाने के पश्चात् चिकित्सा हितलाभ-

(1) कोई व्यक्ति पहली बार बीमाकृत व्यक्ति हो जाने पर तीन माह की कालावधि के लिए चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा परन्तु जहां ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे कारखाने या स्थापन का जिसे अधिनियम लागू है तीन माह या इससे अधिक के लिए कर्मचारी बना रहता है, वहां वह तदनुसूची हितलाभ अवधि के प्रारंभ होने तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा।

(2) वह व्यक्ति, जिसके लिए किसी अंशदान-अवधि में कम से कम अठहत्तर दिनों के लिए अंशदान का भुगतान किया गया है, तदनुसूची हितलाभ अवधि की समाप्ति तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार रहेगा।

परन्तु ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो अधिनियम के तात्पर्य से पहली बार कर्मचारी बनता है, तथा जिसके लिए 156 दिन से कम की अल्प अंशदान अवधि उपलब्ध हो, वह तदनुसूची हितलाभ अवधि तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा, यदि उसके लिए उक्त अंशदान अवधि में कार्य के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या के आधे दिनों के लिए अंशदान देय हो।

परन्तु जहां कोई व्यक्ति, बीमारी की अवधि, जिसमें उक्त बीमारी की पहचान की गई हो, के प्रारंभ से पहले निम्नलिखित में से किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, दो वर्ष या अधिक से निरन्तर सेवा में हो या जहां उसकी निरन्तर सेवा के दो वर्ष नहीं हों, परन्तु इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिथिलता दिए जाने के कारण, बीमाकृत व्यक्ति विस्तारित चिकित्सा हितलाभ के लिए अर्ह हो जाता है तो वह संबंधित विस्तारित हितलाभ बीमाकृत अवधि की समाप्ति तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार रहेगा।

I संक्रामक बीमारियां

1. यक्ष्मा
2. कुष्ठ
3. दीर्घकालीन फेफड़ों में मवाद
4. फेफड़े की सूजन
5. फेफड़े की अन्दरूनी बीमारी
6. एड्स

II नियोप्लाज़्म

7. दुर्दम रोग

III अंतः स्रावी, पोषणज और चयापचयी विकार,

8. प्रफली दृष्टिपटल विकृति/मधुमेहजपाद/वृक्क विकृति सहित मधुमेह मेलीटस

IV स्नायुतन्त्र की बीमारियां

9. एकांगघात
10. अर्धांगघात

11. अधरांगघात
12. अंगों का सुप्त पड़ जाना
13. विकृत अयासित करने वाला आंतरकपालीय दिवस्थान

14. कम्पनयुक्त अंगघात का रोग
 15. रीढ़ रज्जु संपीडन
 16. गंभीर पेशी दुर्बलता/तंत्रिका पेशी दुष्योषण
- V आंख की बीमारियां**
17. 6/6 या उससे कम दृक शक्ति सहित उपक्व मोतियाबिन्दु
 18. दृष्टिपटल की विलग्नता
 19. ग्लूकोमा
- VI हृदय रोग**
20. धमनियों की बीमारी
(क) हृदय का अस्थिर दर्द
(ख) 45 प्रतिशत से कम निष्कासन सहित मायोकार्डियल इन्फराक्शन
 21. रक्ताधिक्य हृदपात
बायां
दायां
 22. पात/जटिलताओं सहित हृदय कपाटिका रोग
 23. हृदयपेशी विकृति
 24. हृदय रोग-जटिलताओं के साथ-साथ शल्यक्रिया आदि सहित
- VII छाती की बीमारियां**
25. रक्ताधिक्य हृदपात सहित दीर्घकालीन अवरोधी फुफ्फुस रोग
- VIII पाचन प्रणाली के रोग**
26. जलोदर सहित जिगर का सिरोसिस/ दीर्घकालीन सक्रिय यकृतशोथ
- IX अस्थि रोग**
27. कमर की हड्डी खिसक जाना/अंतरकशेरुका चक्र का भंश
 28. अस्थिभंग का नहीं जुड़ना या देरी से जुड़ना
 29. अस्थि शल्यक्रिया के बाद नीचे के भाग (पैरों) को काट देना
 30. चिरकारी अस्थिमज्जा शोथ सहित बहुअस्थिभंग
- X मनोरोग**
31. इसके अंतर्गत व्याख्या के लिये उप वर्ग सूचीबद्ध हैं
(क) पागलपन
(ख) दिमाग का सुन्न पड़ जाना
(ग) पागल हो जाना
(घ) मनोभंश
- XI अन्य**
32. 20 प्रतिशत से अधिक जल जाना, जिसमें संक्रमण/जटिलताएं हों
 33. चिरकारी गुर्दे का विफल हो जाना
 34. सड़न की बीमारी (रेनॉड)/ बर्गर की बीमारी

(3) ऐसा बीमाकृत व्यक्ति, जिसका चिकित्सा हितलाभ का हक इस विनियम के अधीन समाप्त हो गया है, किसी ऐसे कारखाने या स्थापन द्वारा, जिसे अधिनियम लागू है, अधिनियम के अधीन कर्मचारी के रूप में अपने पुनर्नियोजन की तारीख से चिकित्सा हितलाभ का पुनः हकदार उस स्थिति में होगा जब वह नियोक्ता से ऐसे प्रपत्र में, जो महानिदेशक द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है। ऐसा बीमाकृत व्यक्ति उस स्थिति को छोड़कर जब कि वह उप विनियम (2) के अन्तर्गत आता है, उस अंशदान कालावधि के, जिसमें वह पुनर्नियोजित किया गया है, संबंधित हितलाभ कालावधि के प्रारंभ होने तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा।

-34-

(4) नियोक्ता मांग किए जाने पर उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र ऐसे किसी कर्मचारी को देगा जिसे नियोक्ता ने उसके बीमा योग्य पिछले नियोजन की समाप्ति के पश्चात् नियोजित किया है।

103 (ख) ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा हितलाभ जो स्थायी अपंगता के कारण बीमायोग्य नियोजन में नहीं रहा है।

(1) ऐसा बीमाकृत व्यक्ति जो नियोजन क्षति के कारण हुई स्थायी अपंगता के कारण बीमायोग्य नियोजन में नहीं रहा है, स्वयं और अपने विवाहिती के

लिए, उस तारीख तक, जब तक वह अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर नियोजन को रिक्त नहीं करता, यदि उसे ऐसी स्थायी अपंगता नहीं हुई होती, चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करता रहेगा, यदि वह नियोक्ता से एक प्रमाण-पत्र/ ऐसे प्रपत्र में, जैसा इस प्रयोजन के लिए महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, घोषणा प्रस्तुत करता है।

(2) **सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों के लिए चिकित्सा हितलाभ:** ऐसा बीमाकृत व्यक्ति जिसने अधिवर्षिता की आयु पूरी कर ली है (या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होता या समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेता है), स्वयं और अपने विवाहिती के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि वह नियोक्ता से, ऐसे प्रपत्र में जैसा इस प्रयोजन के लिए महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है।

(3) नियोक्ता, मांग किए जाने पर उप-विनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र ऐसे किसी कर्मचारी को देगा जिसे उसके द्वारा नियोजित किया गया है।

104. चिकित्सा हितलाभ के लिए दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना- ऐसा व्यक्ति जो चिकित्सा हितलाभ दावा करने का आशय रखता है और जो ऐसे हितलाभ के लिए अन्यथा हकदार है, ऐसे हितलाभ का दावा करते समय अपना पहचान पत्र या ऐसे अन्य दस्तावेज जो उसके बदले में दिया गया हो, उस स्थिति में पेश करेगा जब कि बीमा चिकित्सा अधिकारी द्वारा मांग की जाए और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे चिकित्सा हितलाभ के लिए मना किया जा सकेगा।

105. अतिरिक्त प्रमाणपत्र- जहां किसी ऐसे प्रमाणपत्र की शुद्धता के बारे में कोई प्रश्न उठता है जिसके आधार पर कोई बीमाकृत व्यक्ति, अधिनियम के अधीन किसी हितलाभ का दावा करता है या उसके लिए हकदार है, वहां वह उपयुक्त कार्यालय द्वारा लिखित रूप में या अन्यथा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र अभिप्रास करने की दृष्टि से, ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा, जिसे निगम इस निमित्त नियुक्त करे, अपनी चिकित्सा परीक्षा कराएगा। यदि अतिरिक्त प्रमाणपत्र में वह तारीख विनिर्दिष्ट की जाती है जिसे वह बीमाकृत व्यक्ति फिर से काम पर जाने के योग्य है या होगा तो, ऐसे किसी भी प्रमाणपत्र के बारे में जो बीमा चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसी असमर्थता की अवधि के लिए दिया जाता है या दिया गया है, उस विस्तार तक, जहां तक उसका संबंध अतिरिक्त प्रमाणपत्र में दी गई उक्त तारीख के पश्चात् और जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, किसी कालावधि से यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के अनुसार नहीं दिया गया है और ऐसा अतिरिक्त प्रमाणपत्र, इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, विनियम 58 और विनियम 60 के अधीन दिया गया अंतिम प्रमाणपत्र समझा जाएगा।

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी ऐसा अतिरिक्त प्रमाणपत्र, जहां तक उसका संबंध अस्थायी अपंगता के लिए बीमारी से है, ऐसे अन्तराल और कालावधियों की बाबत दिया जा सकेगा जो ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

106. परिस्थितियों में परिवर्तन का अधिसूचित किया जाना- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे अधिनियम के अधीन कोई हितलाभ संदेय है, यथासाध्य शीघ्र, परिस्थितियों में किसी ऐसे परिवर्तन को जिसके बारे में उससे यह प्रत्याशा की जा सकती है कि उसे इसका ज्ञान होगा और जिससे ऐसे हितलाभ प्राप्त करने के उसके अधिकार के बने रहने पर प्रभाव पड़ सकता है, उपयुक्त कार्यालय को अधिसूचित करेगा।

107. स्थायी अपंगता हितलाभ का दावा करने वाले व्यक्ति की बाबत प्रमाणपत्र- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका किसी स्थायी अपंगता हितलाभ के लिए दावा स्वीकार कर लिया गया है, यह मासिक अन्तरालों पर, प्रति वर्ष दिसम्बर और जून के लिए दावे सहित प्रपत्र 23 में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जो ऐसे प्राधिकारी या व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति में अनुप्रमाणित किया जाएगा जो महानिदेशक विनिर्दिष्ट करे।

107-क. आश्रितजन हितलाभ का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा और ऐसे व्यक्ति की बाबत प्रमाणपत्र- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका किसी आश्रितजन हितलाभ के लिए दावा स्वीकार कर लिया गया है, छह मासिक अन्तरालों पर, प्रतिवर्ष दिसम्बर और जून के लिए दावे

-35-

सहित प्रपत्र 24 में एक घोषणा और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जो ऐसे प्राधिकारी या व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति में अनुप्रमाणित किया होगा जो महानिदेशक विनिर्दिष्ट करे।

107-ख. स्थायी अपंगता हितलाभ या आश्रितजन हितलाभ का दावा करने वाले व्यक्ति की स्वयं की उपस्थिति- स्थायी अपंगता हितलाभ या आश्रितजन हितलाभ के लिए दावेदार की दशा में उपयुक्त शाखा कार्यालय प्रबन्धक, ऐसे व्यक्ति से जो शारीरिक रुग्णता या अंगशैथिल्य के कारण असमर्थ है या किसी पर्दानशीन महिला से भिन्न किसी दावेदार की उपयुक्त शाखा कार्यालय में या निगम के किसी अन्य कार्यालय में स्वयं की उपस्थिति की ओर सम्यक शिनाख्त की अपेक्षा कर सकेगा परन्तु ऐसी हाजिरी की प्रत्येक छह मास में एक बार से अधिक बार अपेक्षा नहीं की जाएगी।

108. ***

109 नियोक्ता या बीमाकृत व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त सूचना का प्रस्तुतीकरण- नियोक्ता या बीमाकृत, जैसा भी मामला हो, उपयुक्त कार्यालय द्वारा मांग किए जाने पर सूचनाएं ऐसे प्रपत्र में देगा, जैसा महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुसूची 1

अनुसूची 2

अनुसूची 3

स्थायी अपंगता हितलाभ के लिए संराशीकरण मूल्य
(विनियम 76-ख)

जिस तारीख से उपयुक्त कार्यालय में संराशीकरण के लिए बीमाकृत व्यक्ति का आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है उससे पिछले जन्म-दिवस पर उसकी आयु	वह गुणक जिसके दैनिक हितलाभ दर को गुणा किया जाता है
17 वर्ष और कम	5690
18 वर्ष	5670
19 वर्ष	5660
20 वर्ष	5640
21 वर्ष	5620
22 वर्ष	5600
23 वर्ष	5580
24 वर्ष	5560
25 वर्ष	5540
26 वर्ष	5510
27 वर्ष	5480
28 वर्ष	5460
29 वर्ष	5420
30 वर्ष	5390
31 वर्ष	5360
32 वर्ष	5320
33 वर्ष	5280
34 वर्ष	5240
35 वर्ष	5200
36 वर्ष	5160
37 वर्ष	5110
38 वर्ष	5070
39 वर्ष	5020
40 वर्ष	4970
41 वर्ष	4910
42 वर्ष	4860
43 वर्ष	4800
44 वर्ष	4740
45 वर्ष	4670
46 वर्ष	4610
47 वर्ष	4540
48 वर्ष	4470
49 वर्ष	4400
50 वर्ष	4330
51 वर्ष	4250
52 वर्ष	4180
53 वर्ष	4100

54 वर्ष	4020
55 वर्ष	3930
56 वर्ष	3850
57 वर्ष	3760
58 वर्ष	3670
59 वर्ष	3590
60 वर्ष	3500
61 वर्ष	3400
62 वर्ष	3310
63 वर्ष	3220
64 वर्ष	3130
65 वर्ष	3030
66 वर्ष	2940
67 वर्ष	2850
68 वर्ष	2750
69 वर्ष	2660
70 वर्ष	2570
71 वर्ष	2470
72 वर्ष	2380
73 वर्ष	2290
74 वर्ष	2200
75 वर्ष	2120
76 वर्ष	2030
77 वर्ष	1950
78 वर्ष	1860
79 वर्ष	1780
80 वर्ष	1700